सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 7 राँची, बुधवार

13 फाल्गुन 1936 (श०)

4 मार्च, 2015 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 69-143

भाग 1—क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1—ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन --- निकले

भाग-9-क—बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक अ ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-22/2015 का0- 1654-- श्री अनिरुद्ध प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, गढ़वा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 2001 **के नियम-**7(a**) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू०** 500/- (**पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।**

2. **श्री शर्मा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 14 दिसम्बर, 2001 है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
आभा कांशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-25/2015 का0- 1655-- श्री राय भवानी नन्दन सहाय, सेवानिवृत्त विशेष सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, सम्प्रति अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, बोकारो को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 **के नियम-**7(a**) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के**

फलस्वरूप प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री सहाय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 01 जुलाई, 2004 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
आभा कांशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-20/2015 का0- 1656-- श्री विश्वनाथ साहू, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजमहल सम्प्रति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रेणी में नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री साहू की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 13 मार्च, 2002 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
आभा कांशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-21/2015 का0- 1657-- श्री प्रेम कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतरा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. **श्री गुप्ता की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 14 दिसम्बर, 2001 है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा कांशी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

संख्या-13/वरीय नि0 सं0- का0- 1658-- श्री विनोद प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला सम्प्रति अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, लातेहार को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. **श्री सिंह की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 01 जुलाई, 2004 है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा कांशी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-24/2015 का0- 1659-- श्री अवधेश नन्दन, सेवानिवृत्त अपर न्यायायुक्त, खुंटी सम्प्रति अध्यक्ष,स्थायी लोक अदालत , पलामू, डाल्टनगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार ग्रहण करने की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. **श्री नन्दन की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में नियमित प्रोन्नति की तिथि 17 फरवरी, 2003 है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
आभा कांशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/नि0सं0-09-77/2014 का॰ 1660-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री गोपी नन्दन प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 05 जनवरी, 2014 से 26 जनवरी, 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार बाजपेयी,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/नि0सं0-09-02/2014 का॰ 1661-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री विनोद कुमार झा, उप निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 01 **दिसम्बर,** 2013 **से** 27 27 **जनवरी,** 2014 **तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम** 227, 230 **एवं** 248 **के तहत स्वीकृत किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार बाजपेयी,

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/नि0सं0-09-156/2014 का॰ 1662 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री मनोज कुमार, उप निदेशक, पंचायत राज, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को (क) दिनांक 20 **मार्च,** 2014 **से** 06 **सितम्बर,** 2014 **तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम** 227, 230 **एवं** 248 **के तहत एवं (ख) दिनांक** 07 **सितम्बर,** 2014 **से** 22 **सितम्बर,** 2014 **तक रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम** 234 **के तहत स्वीकृत किया जाता है ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार बाजपेयी,

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

23 फरवरी, 2015

सं0सं0-4/नि0सं0-12-304/2014 का॰ 1714-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की सुश्री गुंजन कुमारी सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा को **(क)** दिनांक 16 जुलाई, 2014 से 08 अगस्त, 2014 तक उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत एवं **(ख)** दिनांक 09 अगस्त, 2014 से 15 अगस्त, 2014 तक रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

24 फरवरी, 2015

सं0सं0-3/नि0सं0-09-137/2014 का॰- 1729-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री अजय कुमार सिंह, उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखंड, राँची का दिनांक 27 सितम्बर, 2014 से दिनांक 05 फरवरी, 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

26 फरवरी, 2015

संख्या-4/नि0सं0-12-140/2014 का.- 1874-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती पूर्णिमा कुमारी, व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हेहल, राँची को दिनांक 27 जनवरी, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

26 फरवरी, 2015

संख्या-1/विविध-813/2014 का॰ - 1907-- श्री आशीष सिंहमार, भा.प्र.से. (HP-2008), परियोजना निदेशक, झारखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 13 अप्रैल, 2015 से 24 अप्रैल, 2015 तक कुल 12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निजी विदेश यात्रा की अनुमति के साथ दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

27 फरवरी, 2015

संख्या 53/नि0-- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप धारा 1 एवं 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में झारखण्ड राज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 112 112 द्वारा अपेक्षित कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक के लिए आपत्ति एवं सुझाव की मांग की जाती है ।

2. प्रारूप नियमावली पर उक्त अवधि के भीतर किसी व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

3. यदि कोई आपत्तियों एवं सुझाव हो तो उसे निदेशक (भू-अर्जन), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय ।

प्रारूप नियमावली

अध्याय 1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. यह नियमावली 'झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 कही जा सकेगी ।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

3. यह राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ ।

1. इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)

(ख) "प्रशासक" से अभिप्रेत है धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ।

(ग) प्रभावित क्षेत्र से अभिप्रेत है ग्रमीण या नगरीय क्षेत्र जहाँ भूमि अर्जन किया जाना है ।

(घ) "उपयुक्त सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार और इसके अन्तर्गत है धारा-3 के खंड (ड़) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित जिला का उपायुक्त ।

(ड़) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार,

(च) "समहर्त्ता" से अभिप्रेत है उपायुक्त और इसके अन्तर्गत है अपर समाहर्त्ता, अपर उप समाहर्त्ता और इस अधिनियम के अधीन समाहर्ता के सभी अथवा किसी कृत्य को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित कोई अन्य पदाधिकारी जैसे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी ।

(छ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का आयुक्त,

(ज) "प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र,

(झ) "धारा" से अभिपे्रत है अधिनियम-2013 का 30 की धारा,

(ञ) "एस.आई.ए." से अभिप्रेत है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन,

(ट) "एस.आई.ए. इकाई" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए नियुक्त एजेंसी अथवा एजेंसियाँ,

(ठ) "सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किया जानेवाला मूल्यांकन,

(ड) "सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप- धारा (6) के अधीन सामाजिक प्रभाव निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में में तैयार की गई योजना,

(ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(ण) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है, ग्राम सभा जैसा कि झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में परिभाषित है ।

(प) "शहरी क्षेत्र" से अभिप्रेत है वह निगम क्षेत्र जैसा कि झारखण्ड नगर अधिनियम 2001 में परिभाषित है ।

2. इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हों ।

अध्याय II

भूमि अर्जन के लिए अधियाचना

3. भूमि अर्जन क लिए अधियाचना

(1) अधियाची निकाय द्वारा प्रपत्र I में, यथास्थिति, निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव समाहर्त्ता को प्रस्तुत की जायेगी:-

(i) प्रपत्र I में प्रस्ताव

(ii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन,

(iii) प्रशासनिक स्वीकृति/संबंधित विभाग/अधियाची निकाय का प्रस्ताव ।

(iV) परियोजना की अनुमानित लागत,

(V) अर्जनाधीन भूमि को दर्शानेवाला ग्राम मानचित्र (मानचित्रों) की तीन प्रतियाँ,

(vi) अर्जित की जानेवाली भूमि के खतियान की प्रमाणित प्रतियाँ,

(vii) यह सूचना कि क्या भूमि सिंचित बहुफसली है, यदि यह सिंचित बहुफसली भूमि है तो क्या यह धारा 10 के परन्तुक के अधीन आच्छादित है, यदि नहीं, तो भूमि को अर्जित करने के लिए प्रदर्शनीय विशिष्ट परिस्थितियाँ क्या हैं ।

(viii) समाहर्त्ता द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज अथवा सूचना ।

(2) प्रस्ताव प्राप्त होने पर समहर्त्ता स्थल का दौरा करने और यह जाँच पड़ताल करने के लिए क्या प्रस्ताव धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों से संगत है, राजस्व और कृषि पदाधिकारियों/वन विभाग के पदाधिकारी और अन्य कोई पदाधिकारी जो उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाय, का एक एक दल गठित करेगा। दल अधियाची निकाय के साथ क्षेत्र का दौरा करेगा, राजस्व अभिलेख की पड़ताल करेगा, प्रभावित होनेवाले संभावित परिवारों से मिलेगा और धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के सुसंगत अथवा विरूद्ध होने के बारे में अध्यपेक्षा संबंधित समाहर्त्ता को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा,

परन्तु धारा 10 के परन्तुक से आच्छादित परियोजनाओं के लिए की गई प्रस्ताव की दशा में, ऐसी पड़ताल अपेक्षित नहीं होगी ।

(3) दल के प्रतिवेदन, उनसे प्राप्त अन्य सूचना और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्गत अनुदेशों के आधार पर यदि समाहर्त्ता का समाधान हो जाय कि प्रस्ताव धारा 10 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों से संगत है तो वह इस आशय का एक सकारण तार्किक आदेश पारित करेगा। यदि यदि उसका समाधान हो जाय कि प्रस्ताव उक्त उपबंधों से संगत नहीं है तो वह कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और अधियाची निकाय को प्रस्ताव लौटा देगा ।

(4) यदि समाहर्त्ता का समाधान हो जाय कि अधियाचित भूमि अर्जित की जा सकती हे तो वह सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अनुमानित लागत की गणना करेगा और अधियाची निकाय से उसे जमा करवायेगा। भू-अर्जन की अनुमानित लागत और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की अनुमानित लागत की गणना कर इस नियमावली के नियम 24 के प्रकाषन के पूर्व जमा करायी जायगी ।

(5) अर्जन की अनुमानित लागत जमा करने के पश्चात् समुचित सरकार अधिनियम और इस नियमावली के अनुसार अर्जन की कार्रवाई करेगा ।

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 के खण्ड (ड़) के उप खण्ड (5) के आलोक में एतद् द्वारा राज्य के उपायुक्तों को उनके अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए लिए नीचे दी गई अनुसूची के कालम 3 में दर्शित अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है, तथा इस संबंध में समुचित सरकार समझा जायगा। अर्थात-

क्र0सं0	भूमि अर्जन का प्रयोजन	निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	समुचित सरकार
1.	लोक प्रयोजन	5000 हेक्टेयर तक	उपायुक्त
2.	लोक प्रयोजन	5000 हेक्टेयर से अधिक	राज्य सरकार

4. अधियाची निकाय द्वारा अर्जन की लागत जमा करने की रीति ।

(1) नियम 3 के उप-नियम (4) के अधीन अधियाची द्वारा जमा की जानेवाली अर्जन की अनुमानित लागत और अन्य प्रभार भूमि की अनुमानित लागत, उक्त भूमि पर अवस्थित परिसंपत्तियों का मूल्य, तोषण, अधिनियम के अधीन उपबंधित अन्य अतिरिक्त प्रतिकर राशि, विनिर्दिष्ट स्थापना के साथ भूमि का 25 वर्षों का किराया तथा आकस्मिकता प्रभार होगा। किन्तु वसूली प्रभार के कारण सकल किराया राशि के 10%की कटौती की जायेगी।

(2) स्थापना प्रभार निम्नलिखित होंगे:-

(i) भू-अर्जन का स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा राशि का पाँच प्रतिशत,

(ii) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का स्थापना प्रभार के रूप में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मुआवजा का पाँच प्रतिशत,

(iii) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए स्थापना प्रभार के रूप में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन शुल्क का पाँच प्रतिशत ।

(3) आकस्मिकता प्रभार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं भू-अर्जन के मुआवजा राशि का 0.5% होगा ।

(4) अधियाची निकाय अर्जन की अनुमानित लागत, जिसमें स्थापना और आकस्मिकता प्रभार सम्मिलित है, समाहर्त्ता को बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा और समाहर्त्ता भू-अर्जन के लागत को जिला कोषागार में लोक जमा खाता में जमा करेगा ।

(5) तत्पश्चात् समाहर्त्ता चालान द्वारा भूमि राजस्व शीर्ष- **0029008000001** में स्थापना प्रभार जमा करवाएगा ।

(6) समाहर्त्ता आकस्मिकता प्रभार को बचत खाता में जमा करवाएगा, जो जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और उपायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जाएगा। आकस्मिकता प्रभार की राशि राशि का लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक खर्च जैसे वाहन, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर आपरेटर, अमीन, ड्राफ्ट्समेन एवं उपायुक्त द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात अन्य मदों आदि के खर्चे पर उपयोग किया जायेगा ।

(7) अंतिम प्राक्कलन तैयार करने के पश्चात् यदि प्राधिकार अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कोई अधिक मुआवजा राशि अधिनिर्णीत की जाती है तो अधियाची निकाय को वह राशि उसी रीति से जमा करनी होगी ।

(8) अधियाची निकाय को उसी रीति से वह राशि भी जमा कराना आवश्यक होगा जो प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए समुचित सरकार द्वारा परिकलित की जाय ।

अध्याय III

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन

5. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट।

जहाँ धारा **40** के अधीन अत्यावश्यक उपबंधों अथवा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट संबंधी कोई अन्य लोक हित परियोजना का सहारा लेकर कोई भूमि अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित हो तो उपायुक्त इसके लिए और ऐसे अर्जन में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट पाने के लिए तर्कपूर्ण कारणों को देकर तार्किक आदेश पारित करेगा। वैसे मामले में जहां राज्य सरकार, समुचित सरकार हैं वैसे मामले में समाहर्ता राज्य सरकार को अनुशंसा भेजेगा, उसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा तार्किक आदेश पारित किया जायेगा तथा अपने इस निर्णय से समाहर्ता को अवगत कराएगा तत्पश्चात समाहर्ता अधिनियम और इस नियमावली के अनुसार अर्जन

अर्जन की कार्रवाई करेगा। अधिनियम के अन्य उपबंधों में समाजिक प्रभाव अध्ययन कराने हेतु छूट प्रदान की गई है जो अधियाची निकाय को स्वतः उपलब्ध होगा तद्नुसार समुचित सरकार आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

6. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ।

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार इस नियमावली के प्रपत्र II के भाग-ख के अनुसार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी और इसे, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं छावनी क्षेत्र में जो लागू हो हिन्दी भाषा में तथा उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी और प्रभावित क्षेत्र में दो दैनिक हिन्दी एवं अग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायगी तथा प्रभावित क्षेत्र में वितरित किया जायगा। प्रभावित क्षेत्र के कुछ सहज दृश्य स्थलों पर हिन्दी भाषा में आम नोटिस के रूप में भी चिपकाई जायेगी तथा इसे समुचित सरकार के बेबसाइट पर भी डाली जायेगी। सामाजिक समाघात अध्ययन कराने के लिए समुचित सरकार सामाजिक समाघात ईकाई का नाम अधिसूचित करेगी ।

परन्तु अधियाची निकाय द्वारा एस.आई.ए. अध्ययन करने के लिए प्रक्रियागत फीस के जमा जमा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसी अधिसूचना जारी की जायेगी जो नियम-7 के उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय ।

(2) इस अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनार्थ एस.आई.ए. प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर अथवा वार्ड स्तर पर यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत अथवा नगर निगम के परामर्श से किया जायेगा, तत्पश्चात प्रभावित परिवारों का विचार अभिनिश्चित करने के लिए तिथि एवं समय और स्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी देकर, प्रभावित क्षेत्रों में आम सुनवाई की जायेगी जिसे लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा ।

(3) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इसके प्रारंभ होने की तारीख से छह माह के अन्दर प्रपत्र III में समुचित सरकार को समर्पित किया जायेगा तथा इसमें प्रभावित परिवारों का लिखित रूप में अभिलिखित किये गए विचार सम्मिलित होंगे ।

(4) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन परियोजना के प्रभाव को दूर करने के लिए किए जानेवाले अपेक्षित बेहतर उपायों को सूचीबद्ध कर सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना प्रपत्र IV में समुचित सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

(5) एस.आई.ए. प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण स्तर अथवा शहरी वार्ड स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत अथवा नगर निगम को हिन्दी भाषा में तथा उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विषेष भू-अर्जन अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, एस.आई.ए. प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का सारंश दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी तथा प्रभावित क्षेत्र में वितरित किया जाएगी एवं प्रभावित क्षेत्र के कुछ सहज दृष्य स्थलों पर आम नोटिस के रूप में चिपकाई जाएगी, तथा समुचित सरकार के बेबसाइट पर डाली जायेगी ।

7. संस्थागत समर्थन और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए सुविधा ।

(1) राज्य सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए किसी एजेन्सी या एजेन्सियों को राज्य एस.आई.ए. इकाई के रूप में अधिसूचित करेगी। राज्य एस.आई.ए. इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन के सभी मामलों के लिए एस.आई.ए. टीम द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) सम्पादित हो ।

(2) राज्य एस.आई.ए. इकाई निम्नलिखित कार्यो को करेगी, यथा:-

(क) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए योग्य संसाधन युक्त भागीदार तथा कार्यकर्ता का राज्य डाटाबेस तैयार करना तथा उसे लगातार बढ़ाना जो भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमताओं के साथ व्यक्तियों और संस्थाओं के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा,

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट संदर्भ निबंधन (इसमें इसके पश्चात टी.ओ.आर, के रूप में निर्देशित) तैयार कर के संचालित किए जाने वाले एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार अथवा जिला समाहर्त्ता के अनुरोध पर तुरंत जवाब देना,

(ग) एस.आई.ए. दल और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना और विश्लेशण के लिए मैन्युअल, औजार, मामले के अध्ययन का तुलनात्मक प्रतिवेदन और अपेक्षित अन्य सामग्री,

(घ) एस.आई.ए. प्रक्रिया के दौरान यथापेक्षित चालू समर्थन उपलब्ध कराना और सुधारात्मक कार्रवाई करना,

(ड.) जहाँ तक संभव हो नियम 15 में यथाविनिर्दिष्ट भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए एस.आई.ए. और एम.आई.एस. हेतु संव्यवहार आधारित वेब-आधारित कार्य प्रवाह संधारित किया गया है तथा सभी सुसंगत दस्तावेज अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकट किए गए हैं,

(च) सभी एस.आई.ए. तथा सहबद्ध प्राथमिक सामग्री के कैटलॉग को संधारित करना और

(छ) एस0आई0ए0 की गुणवत्ता और पुरे राज्य में उन्हें सम्पादित करने के लिए उपलब्ध क्षमता की की लगातार समीक्षा करना, मूल्यांकन करना और मजबूत करना ।

3. किसी भी स्थिति में एस.आई.ए. टीम या एस.आई.ए. इकाई द्वारा आसमर्थ्य या अन्य कोई कारण से एस.आई.ए. प्रक्रिया को पूर्ण करने और एस.आई.ए. प्रतिवेदन या एस.आई.एम.पी. प्रतिवेदन तैयार करने में असमर्थ हो जाता है तो समुचित सरकार कारण पृच्छा के द्वारा एस.आई.ए. एस.आई.ए. इकाई अथवा एस.आइ.ए. टीम को काली सूची में डाल देगा एवं सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण करने के लिए दूसरा एस.आई.ए. टीम का गठन करेगा या सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने के लिए किसी दूसरे एस.आई.ए. इकाई को आवंटित कर देगा ।

8. परियोजना विनिर्दिष्ट संदर्भ निबंधन (टी.ओ.आर.) तथा एस.आई.ए. के लिए प्रक्रियागत फीस ।

(1) जहाँ समुचित सरकार का भूमि अर्जन का आशय हो वहाँ ऐसी भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव, राज्य एस.आई.ए. इकाई को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ, भेजा जायेगा जो -

(क) भूमि अर्जन के हरेक प्रस्ताव के लिए विस्तृत परियोजना-विनिर्दिष्ट टी.ओ.आर. तैयार करेगी जिसमें इस नियमावली के प्रपत्र II के भाग-क में यथावर्णित एस.आई.ए. के लिए प्रमुख परिदेय हेतु किए जानेवाले सभी आवश्यक क्रियाकलाप, दल का समुचित आकार (और क्षेत्रीय दलों की संख्या) तथा कार्य पूरा करने की नियत तिथि सूचीवद्ध होगी,

(ख) समुचित सरकार के साथ परामर्श से हरेक मद अथवा क्रियाकलाप के साथ लागत के स्पष्ट ब्यौरो के साथ टी.ओ.आर. पर आधारित अनुमानित एस.आई.ए. फी विनिश्चित करेगी। फीस की राशि परिभाशित पैरामीटर, जिसमें क्षेत्रफल, परियोजना का प्रकार तथा प्रभावित परिवारों की संख्या सम्मिलित है, पर आधारित होगी ।

(2) संदर्भ निबंधन तथा अनुमानित एस.आई.ए. फीस प्रतिवेदन तैयार करने के लिए तथा इसे समुचित सरकार को भेजने के लिए प्रशासनिक खर्चे के रूप में एस.आई.ए. को एस.आई.ए. फीस का 10% आवंटित किया जायेगा ।

(3) अधियाची निकाय इस प्रयोजन के लिए समाहर्त्ता के अनुसूचित बैंक में खोले गये खाता में एस.आई.ए. फीस जमा करेगा ।

9. एस.आई.ए., दल का चयन ।

(1) राज्य एस.आई.ए. इकाई सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने वाले संसाधन युक्त योग्य योग्य भागीदारों और कार्यकर्ताओं के राज्य-डाटाबेस में रजिस्ट्रीकृत अथवा सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं से हरेक परियोजना के लिए एस.आई.ए. दल का चयन करने हेतु जवाबदेह होगी ।

(2) एस.आई.ए. का कार्य करने हेतु नियुक्त किए जानेवाले एस.आई.ए. दल की नियुक्ति में अधियाची निकाय किसी प्रकार से अंतर्ग्रस्त नहीं होगा ।

(3) एस.आई.ए. दल का आकार और चयन का मानदंड राज्य एस.आई.ए. इकाई द्वारा विकसित परियोजना-विनिर्दिष्ट टी.ओ.आर. के अनुसार होगा ।

(4) एस.आई.ए. अथवा संबंधित क्षेत्र आधारित मूल्यांकन आयोजित करने में अनुभवी व्यक्तियों अथवा संगठन जो एस.आई.ए. संचालित करने में अनुभव रखता हो या इस क्षेत्र में अध्ययन कराता हो, को नियुक्त करके एस.आई.ए. दल गठित की जा सकेगी और दल में कम-से-कम एक महिला सदस्य को शामिल करेगा ।

(5) पूरे मूल्यांकन अवधि में राज्य एस.आई.ए. इकाई से सम्पर्क स्थापित करने के लिए एस.आई.ए. दल से एक नेता नियुक्त किया जायेगा ।

(6) एस.आई.ए. दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त दल के सदस्यों के बीच हित का विरोध न हो ।

(7) (i) यदि किसी चरण में, यह पाया जाता हो कि दल का कोई सदस्य अथवा दल के किसी सदस्य का कोई पारिवारिक सदस्य अधियाची निकाय अथवा परियोजना में किसी अन्य जोखिम उठाने वाले से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई लाभ प्राप्त किया है तो उक्त सदस्य को हटा दिया जायेगा ।

(ii) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के सभी सदस्य इस आशय का वचन देंगे कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य कुटुम्ब का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अधियाची निकाय या परियोजना में अन्य किसी भी पदाधिकारी से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा ।

10. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने की प्रक्रिया ।

(1) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन-प्रतिवेदन तैयार करने में एस.आई.ए. दल परिमाणात्मक और गुणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करेगा और विश्लेशण करेगा, स्थल का विस्तृत दौरा करेगा, सहभागी पद्धति, जैसे केन्द्रित समूह चर्चा, सहभागी ग्रामीण मूल्य निरूपण तकनीक और सूचनात्मक साक्षत्कार का प्रयोग करेगा ।

(2) यथापोषित सभी सुसंगत प्रतिवेदन और साध्यता अध्ययन, समूची एस.आई.ए. प्रक्रिया के दौरान, एस.आई.ए. दल का उपलब्ध कराया जाय। एस.आई.ए. दल से सूचना की मांग का कोई अनुरोध शीघ्रता से जो सात दिन से अधिक नहीं होगा, पूरा किया जायेगा। एस.आई.ए. दल द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने की जवाबदेही जिला समाहर्त्ता की होगी ।

(3) सभी सुसंगत भूमि-अभिलेख और आँकड़े, क्षेत्र सत्यापन समीक्षा और समान परियोजनाओं के साथ तुलना के सम्पूर्ण विश्लेशण के आधार पर एक विस्तृत मूल्यांकन एस.आई.ए. एस.आई.ए. दल द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन निम्नलिखित विनिश्चित करेगा, यथा:-

(क) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी दोनों शामिल हैं, के अधीन प्रभाव का क्षेत्र,

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि ही केवल न्यूनतम अपेक्षित है,

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,

(ड.) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु-फसली भूमि है और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,

(च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्यसंक्रांत, पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लाट के लिए उपयोग आशयित हो,

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना और क्या ऐसी कोई भूमि किसी के अधिभोग में है,

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,

(ञ) धृतियों का आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि-वितरण, आवासीय घरों की संख्या और निजी आधारभूत संरचना तथा परिसंपत्तियों, और

(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षों में भूमि का उपयोग

(4) भूमि मूल्यांकन, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन के आधार पर, एस.आई.ए. प्रभावित परिवारों तथा उनमें से विस्थापित परिवारों का वास्तविक आकलन उपलब्ध करायगी, तथा जहाँ तक संभव हो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रभावित परिवार की गणना कर ली गई है ।

परन्तु जहाँ गणना संभव नहीं हो वहाँ प्रतिनिधि सैपल (नमूना) लिया जाएगा ।

(5) प्रपत्र-III के अनुसार उपलब्ध आँकड़े और सांख्यिकी क्षेत्र दौरा तथा परामर्श के आधार पर प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रोफाइल (रूपरेखा) अवश्य तैयार की जानी चाहिए,

परन्तु ऐसी परियोजना जहाँ पुनर्बंदोबस्ती अपेक्षित हो वहाँ चिन्हित पुनर्बंदोबस्ती स्थल का दौरा किया जायेगा तथा भूमि का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल का सार और वर्तमान निवासियों की जनसंख्या को इंगित किया जायेगा ।

(6) उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रियाओं से एकत्र किए गये आँकड़ो के आधार पर तथा प्रभावित समुदायों एवं प्रमुख जोखिम उठाने वालों से परामर्श कर एस.आई.ए. दल प्रपत्र प्प्प् के अनुसार प्रस्तावित परियोजना तथा भूमि अर्जन से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की प्रकृति, विस्तार एवं तीव्रता को चिन्हित करेगा और उनका मूल्यांकन करेगा ।

(7) (प) एस.आई.ए. प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना शामिल है जो मूल्यांकन के दौरान चिन्हित सामाजिक प्रभाव को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रस्तुत करेगी ।

(ii) एस॰आई॰ए॰ दल को लागतों का स्पष्ट, समय सीमा और क्षमता के साथ प्रभाव में कमी तथा प्रबंधन रणनीति की स्वीकार्यता का निर्धारण करना चाहिए ।

(iii) एस॰आई॰एम॰पी॰ में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित होंगे कि-

(क) इस अधिनियम में यथाउपदर्षित प्रभावित परिवारों के सभी वर्गों के लिए प्रतिकर पुनर्वास और पुनर्बंदोबस्ती के निबंधनों के अनुसार विनिर्दिष्ट किये गए हैं ।

(ख) अधियाची निकाय ने कहा है कि परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों में वह जिम्मा लेगी ।

(ग) अधियाची निकाय द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त उपाय जिसका जिम्मा एस॰ आई॰ए॰ प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्ष के जबाव में उसके द्वारा लिया गया है ।

(ध) एस॰आई॰ए॰ दल प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के विपरीत सामाजिक प्रभाव और सामाजिक लागत एवं लाभ के संतुलन और वितरण का स्पष्ट मूल्यांकन उपलब्ध करायेगा, जिसमें शमन उपाय भी सम्मिलित हैं तथा यह भी मूल्याकंन उपलब्ध करायेगा कि क्या प्रस्तावित परियोजना से होनेवाले लाभ सामाजिक लागत और विपरीत सामाजिक प्रभाव से अधिक हैं क्योंकि यह प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किया जाना संभावित हैं अथवा प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात् भी उक्त भूमि अर्जन और पुनबंदोबस्ती के फलस्वरूप प्रभावित परिवार पर आर्थिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से बदतर स्थिति का खतरा बना हुआ है ।

11. लोक सुनवाई करने की प्रक्रिया ।

(1) एस॰आई॰ए॰ के प्रमुख निष्कर्श को बताने, निष्कर्शों पर मंतव्य मांगने तथा अंतिम दस्तावेज इसे सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त सूचना और मंतव्य मांगने तथा अंतिम दस्तावेज इसे सम्मिलित

सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त सूचना और मंतव्य मांगने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई की जायेगी ।

(2) लोक सुनवाई उन सभी ग्रामों सभाओं अथवा शहरी वाद सभा में संचालित की जायेगी जहाँ भूमि अर्जन के कारण प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सदस्य प्रभावित हैं ।

(3) लोक सुनवाई की तारीख और स्थान की घोषणा, जनसूचना के माध्यम से स्थानीय दो हिन्दी एवं अग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कर और समुचित सरकार के बेवसाइट पर सूचना डालकर दो सप्ताह पहले किया जाएगा ।

(4) (i) एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन प्रारूप और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना, लोक सुनवाई के दो सप्ताह पूर्व हिन्दी भाषा में प्रकाशित कराये जायेंगे और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका कार्यालयों में वितरित किये जायेंगे। प्रतिवेदन प्रारूप की एक प्रति उपायुक्त के कार्यालय कार्यालय में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(ii) अधियाची निकाय को भी प्रतिवेदन प्रारूप की एक प्रति तामील कराई जायेगी। लोक सुनवाई के दिन प्रतिवेदन और सारांश की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जायेंगी । एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन के निष्कर्ष को जानने के लिए सुगम प्रदर्शन तथा अन्य चाक्षुष भी प्रयोग में लाये जायेंगे ।

(5) (i) एस॰आई॰ए॰ का कोई सदस्य लोक सुनवाई में सहयोग करेगा। संबंधित अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मचारी भी लोक सुनवाई के समय एस॰आई॰ए॰ दल की सहायता के लिए उपस्थित होंगे ।

(ii) ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधि भी अपने-अपने क्षेत्रों की लोक सुनवाई के लिए व्यवस्था से संबंधित सभी विनिश्चयों में सम्मिलित किए जायेंगे ।

(6) सभी कार्यवाहियाँ हिन्दी भाषा में जहाँ तक संभव हो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी एवं विश्सनीय अनुवादकों के साथ होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जाय सके कि सभी सहभागी समझ सकें और अपना दृष्टिकोण प्रकट कर सकें ।

(7) अधियाची निकाय के प्रतिनिधिगण और जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी और प्रशासक भी लोक सुनवाई में भाग लेंगे तथा प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाये गये प्रश्नों एवं चिन्ताओं का निराकरण करेंगे ।

(8) लोक सुनवाई की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग करायी जायेगी और तदनुसार उसका नकल तैयार की जायेगी। अंतिम एस.आई.ए. प्रतिवेदन और एस.आई.एम.पी. के साथ इसकी रिकार्डिंग और नकल समाहर्ता को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(9) लोक सुनवाई की समाप्ति के पश्चात् एस.आई.ए. दल जनसभा में जुटाए गये सभी प्राप्त फीडबैक फीडबैक और सूचना का विष्लेशण करेगा और तदनुसार संषोधित एस.आई.ए. प्रतिवेदन में उस विष्लेशण को सम्मिलित करेगा ।

(10) जन सभा में उठाई गयी हरेक आपत्ति को अभिलिखित किया जायेगा और एस.आई.ए. दल यह सुनिश्चित करेगा कि एस.आई.ए. प्रतिवेदन में हरेक आपत्ति पर विचार किया जायेगा ।

12. एस.आई.ए. प्रतिवेदन और एस.आई.एम.पी. प्रस्तुत करना ।

अंतिम एस.आई.ए. प्रतिवेदन और एस.आई.एम.पी. हिन्दी भाषा में तैयारी किए जाएगें तथा यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर परिशद् नगर पंचायत अथवा नगर निगम तथा उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएगें तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर इसे डाला जायेगा ।

13. विषेशज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन को आंकना ।

इस परियोजन हेतु उपायुक्त को समुचित सरकार समझा जाएगा तथा उपायुक्त द्वारा विषेशज्ञ समूह समूह का गठन किया जाएगा ।

(1) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित विषेशज्ञ समूह एस.आई.ए. प्रतिवेदन का मूल्यांकन करेगा और उस प्रभाव की अपनी अनुषंसा इसके गठन की तारीख से दो माह के भीतर देगा ।

(2) विशेशज्ञ समूह की अनषंसाएँ, प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर, संबंधित पंचायत, नगर परिशद्, नगर पंचायत अथवा नगर निकाय को हिन्दी भाषा में और जिला समाहर्त्ता, अनुमंडल अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जायेगी तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा ।

14. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पर विचार, विशेषज्ञ समूह आदि की अनुशंसाएँ ।

(1) समुचित सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, विशेषज्ञ समूह की अनुशनसाएँ, समाहर्त्ता समाहर्त्ता का प्रतिवेदन, यदि कोई हो, की जाँच करेगी तथा अर्जन के लिए उस क्षेत्र को विनिश्चित करेगी जो कम से कम लोगों के विस्थापन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितकी की न्यूनतम गड़बड़ी तथा प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम विपरीत प्रभाव को सुनिश्चित करें ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन समुचित सरकार का विनिश्चय प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम स्तर अथवा वार्ड स्तर पर सम्बद्ध पंचायत, नगर परिषद्, नगर पंचायत अथवा नगर निगम को हिन्दी भाषा में और उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा:

15. भूमि अर्जन और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए वेब-अधारित कार्यप्रवाह और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम॰आई॰एस॰) ।

राज्य सरकार समर्पित, उपयोगकत्र्ता के अनुकूल वेबसाइट स्थापित कर सकेगी तथा जो एक लोक मंच रूप में सेवा प्रदान करेगा जिसपर एस॰आई॰ए॰ की अधिसूचना से लेकर विनिश्चय, कर्यान्वयन और लेखा परीक्षा करने तक प्रत्येक कार्रवाई को रखते हुए प्रत्येक भूमि अर्जन मामले का पूरा कार्यप्रवाह रखा जायगा ।

16. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अतिरिक्त मानक ।

समाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और सामाजिक मूल्यांकन प्रबंधन योजना के लिए पैरामीटर और विशय-सूची प्रपत्र III एवं IVमें दिए गए हैं जिन्हें एस॰आई॰ए॰ दल को अपना प्रतिवेदन तैयार करते समय इस्तेमाल करना चाहिए ।

17. परती, बंजर एवं अनुपयोजित भूमि की तालिका ।

न्यूनतम भू-भाग का अर्जन सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि की उपयोगिता को सुसाध्य बनाने के लिए, राज्य सरकार परती, बंजर और अनुपयोजित सरकारी भूमि और सरकारी भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि का जिला स्तरीय तालिका प्रतिवेदन तैयार कर सकेगी और जिसे एस॰आई॰ए॰ दल एवं विषेशज्ञ समूह को उपलब्ध कराया जा सकेगा। तालिका प्रतिवेदन को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। किसी कारणवश सिंचित बहुफसली भूमि का अर्जन प्रमाण्य अंतिम उपाय के रूप में किया जा रहा है वहाँ संबंधित जिले के कुल बहुफसलीय सिंचित

भूमि का दो प्रतिशत से अधिक बहुफसलीय सिंचित भूमि का अर्जन नहीं किया जायगा या संबंघित जिला के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विषेश छूट प्रदान किया जायगा ।

अध्याय IV

सहमति

18. सहमति के लिए अपेक्षाएँ ।

(1) धारा 2 की उप-धारा (2) के अधिन यथा विनिर्दिष्ट उद्वेष्यों के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि भूमि की स्थिति में, धारा 2 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति संबंधित उपायुक्त द्वारा, प्रपत्र V के भाग-क में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहित, सहित, प्राप्त की जाएगी ।

(2) संबंधित जिला समाहर्त्ता पूर्व सहमति प्राप्ति की प्रक्रिया में स्वंय को सहयोग करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारीयों का दल गठित कर सकेंगे ।

(3) समाहर्त्ता भू-अधिकार, भू-हक से संबंधित अभिलेख एवं प्रभावित क्षेत्रों के अन्य राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्वेष्य से आवष्यक कदम उठाएँगें, ताकि पूर्व सहमति प्रक्रिया एवं भू-अर्जन की पहल करने के लिए भू-स्वामियों, भू-अधिवासियों एवं व्यक्तियों के नामों की पहचान की की जा सके ।

19. प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति ।

(1) (i) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं एवं निजि कंपनियों की परियोजनाओं में सभी प्रभावित भू-स्वामियों की, जिनकी सहमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो, सूची जिला समाहर्त्ता द्वारा द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल के परामर्ष से तैयार की जाएगी ।

(ii) सहमति प्राप्त करने से कम-से-कम दस दिन पूर्व, प्रभावित क्षेत्रों के सहज दृष्य स्थानों पर पर सूची के संप्रदर्षन द्वारा, उक्त सूची प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाएगी ।

(2) किसी भी आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता का मत भी लिए जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जायेगा ।

(3) जिला समाहर्त्ता, यथास्थिति, ग्राम पंचायतों, नगर परिषद्, नगर पंचायत या नगर निगमों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकें आहूत करने के लिए कम-से-कम दो सप्ताह पहले उसके संबंध में तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित करेंगे ।

(4) अधियाचि द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निबंधन एवं शर्तें भी, प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामी को सम्मिलित कर, प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में कम-से-कम दो सप्ताह पहले से हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी ।

(5) (i) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अधियाची निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम है, ऐसे सभी अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब देंगे ।

(ii) अधियाची निकाय द्वारा प्रतिपादित किए गए निबंधन एवं शर्तें, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर एवं अन्य उपाय सदस्यों को हिन्दी भाषा में और घनी आवादीवाले जनजातीय क्षेत्रों मे जनजातीय भाषा में सविस्तार समझाया जाएगा तथा सदस्यों एवं अधियाची निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर प्राप्त किए जाएँगे ।

(6) (i) अधिवेशन की समाप्ति पर प्रत्येक व्यष्टिक भू-स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्षित उपदर्षित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या अंतर्वलित भूमि के अर्जन के लिए अपनी सहमति देता/देती हैं या रोकता/रोकती है ।

(ii) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित संबंधित भू-धारक को दी जाएगी। घोषणा की प्राप्ती पर जिला समाहर्त्ता या अपर समाहर्त्ता या अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जायेंगे ।

(7) (i) उन भू-स्वामीयों को, जो अधिवेशन में हाजिर नहीं हो सके, भू-स्वामीयों के अधिवेशन की तारिख से 15 दिन के भीतर समाहर्त्ता अथवा अंचल अधिकारी को अपनी हस्ताक्षरित घोश्णाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए इंतजाम किया जाएगा ।

(ii) घोशणा प्रारूप प्राप्त होने पर, जिला समाहर्त्ता या अपर समाहर्त्ता या अंचल अधिकारी द्वारा द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधन और शर्तों सहित प्रभावित

प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी। सहमति प्रक्रिया भू-स्वामियों के हस्ताक्षरित अथवा अंगूठे के निशान वाली, लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(8) भू-स्वामियों के अधिवेशन के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति लेने की सभी कर्यावाहियों विडियों रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों को लिखित दस्तावेज में होना चाहिए ।

(9) प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में सहयोग करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल के सदस्य उपस्थित रहेंगे ।

(10) कोई भी भूमि धारक अपनी सहमति उपर्युक्त रीति से एक बार दे देने के बाद उसे वापस नहीं ले सकेगा ।

20. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति ।

(1) भारत संविधान की पाँचवी अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन की स्थिति में ग्राम सभा की सहमति उपायुक्त द्वारा प्रपत्र अ के भाग 'ख' में प्राप्त की जाएगी। वे प्रभावित क्षेत्र क्षेत्र में विषेश ग्रामसभा की बैठकें आहुत करने के लिए कम से कम दो सप्ताह पहले उसके संबंध में में तिथि, समय अचिसूचित करेंगे। ग्राम सभाओं के सदस्यों को भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए लोक जागरूकता अभियान भी चलाएँगे। भू-अर्जन के लिए सहमति पंचायत उपबध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 की मार्गदशिका एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा-41 के तहत् किया जाएगा ।

रेखांकित (Linear) परियोजना अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति जहां एक पंचायत का समावेश हो वैसे मामले में ग्राम पंचायत, एक से अधिक पंचायत का समावेश होने की स्थिति में पंचायत समिति, तथा एक से अधिक प्रखण्ड के समावेश होने की स्थिति में जिला परिषद् की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

(2) ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त करने लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियम 19 के अधीन विहित की गई हो ।

(3) सहमति के वैध माने जाने के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम-से-कम एक तिहाई होगी ।

परंतु ग्राम सभा के कुल महिला सदस्यों के एक तिहाई भी उस ग्राम सभा बैठक में उपस्थित रहेंगे ।

यदि पहली ग्राम सभा में कोरम पूरा नहीं होता है तो अगली ग्राम सभा में कोरम की बाध्यता नहीं होगी ।

(4) कोई भी ग्राम सभा अपनी सहमति उपर्युक्त रीति से एक बार देने क बाद उसे वापस नहीं ले सकेगी ।

21. सहमति प्रक्रिया हेतु राज्य सरकार की भूमिका एवं उत्तरदायित्व ।

(1) समाहर्त्ता, सहमति प्राप्त करने कि उद्देश्य से, ग्राम सभाओं, पंचायतों एवं प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों के लिए तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित एवं प्रकाशित करेंगे और सहमति प्रक्रियाओं में प्रभावित भू-स्वामियों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए लोक जागरूकता अभियान का आयोजन करेंगे ।

(2) समाहर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि निम्नलिखित को हिन्दी भाषा में प्रत्येक सदस्य को, जिनकी जिनकी सहमति प्राप्त की जानी है, कम-से-कम दो सप्ताह पहले उपलब्ध करा दिया जाए, यथा-

(क) हिन्दी भाषा में एस.आई.ए. प्रतिवेदन प्रारूप (यदि बना बनाया उपलब्ध हो) की प्रति;

(ख) प्रतिकर एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए दिए जाने वाले प्रारंभिक पैकेज;

(ग) उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित लिखित बयान, यह प्रामाणित करते हुए कि किसी परियोजना के लिए लिए सहमति से इनकार किए जाने की स्थिति में कोई परिणाम नहीं भुगतान पड़ेगा और जिला समाहर्त्ता द्वारा यह भी अभिकथन जाएगा कि सहमति प्राप्त करने के लिए प्रपीड़न या डराने-धमकाने धमकाने का कोई प्रयास गैर-कानूनी होगा, और

(घ) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के संबंध में प्रपीड़न के किसी प्रयास के मामले में संपर्क किए जाने वाले सरकारी दूरभाष संख्या सहित पदाधिकारी या प्राधिकार का संपर्क ब्यौरा ।

(3) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा नियुक्त कोई भी पदाधिकारी ग्राम सभाओं, पंचायतों और भू-स्वामियों स्वामियों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे ।

22. सहमति प्रक्रिया के लिए अधियाची निकाय की भूमिका एवं उत्तरदायित्व ।

(1) अधियाची निकाय प्रतिकर एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के निबंधनों एवं शर्तों का बातचीत से तय करने के लिए एवं निर्णय लेने के लिए सक्षम प्रतिनिधिगण नियुक्त करेंगे, जो प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे और भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे ।

(2) अधियाची निकाय सहमति प्राप्त करने के पूर्व परियोजना से संबंधित सभी जानकारी और कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएँगे ।

अध्याय-V

अधिसूचना एवं अर्जन

23. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन ।

(1) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष और यथास्थिति प्रभावित व्यक्ति या ग्राम सभा की सहमति के उपरांत जब समुचित सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी सार्वजनिक उद्वेष्य के लिए किसी क्षेत्र में कोई भूमि अपेक्षित है या अपेक्षा किए जाने जैसी है, तो प्रारंभिक अधिसूचना प्रपत्र VI में निर्गत किया जाएगा। धारा 10**A** अथवा धारा 6(2) के परंतु के अधीन अथवा धारा-40 के अंतर्गत भू-अर्जन मामले में प्रारंभिक अधिसूचना प्रपत्र VI **A** में निर्गत किया जायगा ।

(2) प्रारंभिक अधिसूचना, अधिनियम की धारा-11 में उपबंधित रीति से, प्रकाशित की जाएगी ।

(3) अधिसूचना की प्रति प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय सहजदृष्य स्थानों पर चिपकायी जाएगी ।

(4) प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरांत, समाहर्त्ता दो माह की अवधि के भीतर भीतर यहाँ नीचे यथाविनिर्दिष्ट भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने का जिम्मा भी लेंगे और इस कार्य कार्य को पूरा करेंगे-

(क) मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियों का विलोपन;

(ख) मृत व्यक्तियों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कराना;

(ग) भू-अधिकारों, यथा विक्रय, उपहार या बँटवारा, आदि के रजिस्ट्रीकृत अंतरणों को प्रभावी करना;

(ध) भू-अभिलेखों में बंधकों की सभी प्रविष्टियाँ करना;

(ड.) लिए गए ऋणों के पूर्णरूपेण भुगतान किए जाने पर ऋण देने वाले अभिकरण द्वारा इसके संबंध में पत्र निर्गत किए जाने की स्थिति में, बंधक की प्रविष्टियों का विलोपन करना;

(च) अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत निवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 अंतर्गत प्राप्त अधिकार से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि करना;

(छ) सरकारी भूमि की स्थिति में, आवष्यक प्रविष्टि करना अगर राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार योग्य व्यक्तियों को बंदोबस्त किया गया है ।

(ज) भूमि पर वृक्ष, कुँआ आदि आस्तियों से संबंधित आवष्यक प्रविष्टि करना;

(झ) काश्तकारी नियम के अनुसार भुगुत बंधक पर फसल पैदा करनेवालों के संबंध में आवष्यक प्रविष्टि करना;

(त्र) उगाई हुई या बोई हुई फसलों एवं ऐसी फसलों के क्षेत्र के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि करना; और

(ट) भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में कोई अन्य प्रविष्टि या अद्यतन।

24. अर्जन हेतु घोषणा का प्रकाशन ।

(1) धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथाउपबंधित समाहर्त्ता के प्रतिवेदन की पावती पर, पर, अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि अर्जन की घोषणा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की संक्षिप्त रूपरेखा के साथ समुचित सरकार द्वारा प्रपत्र टप्प् मे की जायेगी जायेगी । फिर भी कोई भी ऐसी घोषणा उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कि अधियाची निकाय में भूमि अर्जन की लागत के संबंध में पूरी रकम जमा न कर दी हो ।

(2) ऐसी घोषणा, प्रभावित क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले ग्राम पंचायत, नगर परिषद् नगर पंचायत या नगर निगम के कतिपय सहजदृष्य स्थानों पर, इसकी प्रति चिपकाकर प्रभावित क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी ।

(3) ऐसी अंतिम घोषणाओं की तिथि धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशन की तिथि होगी ।

अध्याय VI

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

25. पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की तैयारी एवं लोक सुनवाई ।

(1) समाहर्त्ता, धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर समाहर्त्ता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक स्वयं या जिला भू-अर्जन पदाधिकारी या अपर समाहर्त्ता या उप उप समाहर्त्ता (भूमि सुधार) या अंचल अधिकारी के माध्यम से या किसी अभिकरण को इस कार्य के के संबंध में आउटसोर्सिंग से लगातार ऐसी प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, एक सर्वेक्षण करवाएँगे और प्रभावित परिवारों की जनगणना का दायित्व लेंगे।

(2) वे प्रशासक द्वारा इस प्रकार करवाए गए सर्वेक्षण और प्रभावित परिवारों की जनगणना में, एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन पर आधारित आँकड़ों एवं द्वितीयक स्त्रोतों यथा पंचायत और सरकारी अभिलेखों से आँकड़ों का संग्रहण करेंगे और इन आँकड़ों का सत्यापन प्रभावित परिवारों के दरवाजे-दरवाजे जाकर और प्रभावित क्षेत्र की आधारभूत संरचना की स्थिति में उन स्थलों का दौरा करके करेंगे ।

(3) प्रशासक द्वारा तैयार किए गए पुनर्वास एवं पुनव्यर्ववस्थापन स्कीम के प्रारूप में धारा 16 की उप-धारा (2) में उल्लिखित विशिष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे:-

(क) विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की सूची,

(ख) प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की सूची,

(ग) प्रभावित क्षेत्र में भू-धृतियों की सूची,

(घ) प्रभावित क्षेत्र में व्यवसायियों की सूची,

(ङ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की सूची,

(च) प्रभावित क्षेत्र में अलाभप्रद समूहों यथा-अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विकलांग व्यक्तियों की सूची,

(छ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन कृषक मजदूरों की सूची, और

(ज) प्रभावित क्षेत्र में बेरोजगार युवकों की सूची ।

4. प्रशासक व्यापक एवं विस्तृत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रारूप यथासंभव तैयार करेंगे ।

5. प्रशासक प्रभावित क्षेत्र के दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्कीम प्रारूप सर्वसाधारण-सूचना के तरीके से प्रकाशित करेंगे, तथा प्रभावित क्षेत्रा में वितरित करेंगे ताकि लोगों को प्रारूप स्कीम के बारे में जानकारी मिले ।

6. प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में लोक-सुनवाई ऐसी तिथि, समय और स्थान पर करेंगे जैसा कि वे उपयुक्त समझें परंतु यह समय स्कीम प्रारूप के प्रकाशन के पंद्रह दिनों से पूर्व नहीं हो। गोलोक-सुनवाई से संबंधित नियम 10 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस मामले में भी लोक-सुनवाई पर लागू होंगे ।

26. प्रशासक की शक्ति, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व ।

राज्य के अपर समाहर्त्ता संबंधित जिलों का प्रशासक होंगे ।

प्रशासक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे-

(क) सर्वेक्षण कराना और इस नियमावली के अधीन यथा उपबंधित नियम 25 से एवं समय के भीतर प्रभावित परिवारों की जनगणना का दायित्व लेना,

(ख) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रारूप तैयार करना,

(ग) इस नियमावली के अधीन यथाउपबंधित नियम 25 से स्कीम प्रारूप प्रकाशित करना,

(घ) संबंधित व्यक्तियों एवं प्राधिकारों को स्कीम प्रारूप उपलब्ध कराना,

(ङ) स्कीम प्रारूप पर लोक-सुनवाई का आयोजन एवं संचालन करना,

(च) स्कीम प्रारूप पर सुझावों एवं टिप्पणियों के संबंध में अधियाची को अवसर उपलब्ध कराना,

(छ) समाहर्त्ता को स्कीम प्रारूप सौंपना,

(ज) प्रभावित क्षेत्र में अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रकाशित करना,

(झ) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय (अवार्ड) तैयार करने में समाहर्त्ता को सहायता एवं सहयोग करना,

(´) पुनर्वास अधिनिर्णय (अवार्ड) के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना,

(ट) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वय के पश्चात लेखा परीक्षा में सहयोग करना और

(ठ) पुनवार्स एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित कोई अन्य कार्य ।

27. अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन ।

(1) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त, सार्वजनिक सूचना द्वारा धारा 18 के अधीन अपने अपने द्वारा अंतिम रूप से तैयार किया गया अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सारांश प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित दो स्थानीय दैनिक हिन्दी एवं अग्रेजी समाचार पत्रों में आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करेंगे एवं समुचित सरकार के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ।

(2) अनुमोदित स्कीम की प्रतियाँ संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिषाद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं संबंधित क्षेत्र के प्रशासक के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएंगी ।

28. पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की मूल-वस्तु ।

(1) ऐसी जहाँ प्रारंभिक अधिसूचना धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत कर दी गई है, वहाँ परियोजनाओं के प्रभावित परिवार ही अधिनियम के द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची के अनुसार अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की मूल वस्तुएँ प्राप्त करने के हकदार हैं ।

(2) विकसित भूमि का **20%** प्रदान करते समय, जब भूमि का अर्जन शहरीकरण के प्रयोजनार्थ है, तब उस स्थिति में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सूक्ष्म विधाओं के घटकों के लिए प्रयुक्त भूमि को विकसित भूमि के **20%**की परिगाणना में नहीं लिया जाएगा ।

(3) जहाँ नौकरियाँ परियोजना के माध्यम से सृजित की गयी हों वहाँ अधियाची निकाय, जहाँ अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अधीन रोजगार की पसंद दी गयी हो और परियेाजना प्रभावित परिवार द्वारा स्वीकार की गयी हो, अपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए व्यवस्था करेगा ।

(4) अधियाची निकाय उद्यमिता के विकास, स्वरोजगार के लिए तकनीकी एवं पेशेवर कौशल कौशल के विकास के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करेगा ।

(5) अधियाची की ओर से भूमि अर्जन अंतग्रस्त परियोजना, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल है, की स्थिति में प्रपत्र टप्प्प् में विकास येाजना, समाहर्त्ता द्वारा प्रभावित परिवार के परामर्श से तैयार की जाएगी। उक्त योजना पुनर्वास एंव पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की लोक सुनवाई एवं इसको अंतिम रूप दिए जाने के दौरान जोर से पढ़कर सुनाया जाएगा और उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा ।

अध्याय VII

अधिनिर्णय एवं प्रतिकर

29. भूमि अर्जन अधिनिर्णय ।

(1) समाहर्ता, धारा **21** की उप-धारा**(1)** के अधीन प्रकाशित एवं प्रदत्त सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई किसी प्रकार की आपत्तियों की जाँच-पड़ताल एवं निपटान निपटान के उपरांत इस नियमावली के नियम **30** के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनियम अधिनियम की धारा **23** के अधीन प्रपत्र **21** में भूमि अर्जन अधिनिर्णय करेंगे ।

(2) धारा **21** के अनुसार अर्जन की जानेवाली भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों के दावों की मांग करते समय, समाहर्ता अधियाची निकाय को नोटिस देंगे। अधियाची निकाय अर्जन की जानेवाली भूमि के बाजार मूल्य सहित प्रतिकर की रकम के संबंध में समाहर्ता के साथ अपनी राय अभिव्यक्त अभिव्यक्त कर सकेगा ।

(3) यह सुनिश्चित करना समाहर्ता का कर्तव्य होगा कि अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 25 के अधीन विहित अवधि के भीतर किया जाये ।

30. पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(1) समाहर्ता अधिनियम की द्वितीय अनूसूची के अनुसार प्रभावित परिवारों के लिए या जहाँ जहाँ सहमति प्राप्त की जानी हो, वहाँ बातचीत से तय हुए अनुबंध के अनुरूप प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास एवं पुनव्यर्वस्थापन अधिनिर्णय भी करेंगे और प्रपत्र X में प्रत्येक प्रभावित परिवार को परिवारवार अधिनिर्णय सौंपेगे ।

(2) समाहर्ता प्रत्येक पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के लिए उपबंधित किये जाने वाले अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उपबंध के लिए प्रपत्र XI में आदेश भी निर्गत करेंगे ।

(3) आयुक्त (पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन कार्यान्वयन का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करेंगे ।

31. प्रतिकर ।

(1) धारा 26 से धारा 30 सहपठित अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर की परिगणना की जायेगी और उन सभी पक्षकारों को इसका भुगतान किया जायेगा जिनकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अर्जन किया गया हो ।

(2) अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट कृषक मजदूरों, भुगुतबंधक, छोटे व्यपारियों और शिल्पकारों को निम्नलिखित दरों से प्रतिकर दिया जायेगा:-

(क) कृषक मजदूर की स्थिति में, दो सौ दिनों की वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य एक मुश्त रकम का भुगतान किया जायेगा ।

(ख) भुगुतबंधक को पचीस हजार रूपये प्रति एकड़, उस भूमि के लिए जिसपर वे भुगुतबंधक में फसल पैदा करने वाले खेती करते हैं, का एक मुश्त भुगतान किया जायेगा ।

(ग) उन शिल्पकारों या छोटे व्यापारियों की स्थिति में जो भूमि अज़न के पूर्व प्रभावित क्षेत्र में तीन वर्षों तक कार्य करते रहे हों, उन्हें दो सौ दिनों की वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य एक मुश्त रकम का भुगतान किया जायेगा ।

(3) प्रतिकर का भुगतान, संवितरण शिविरों का आयोजन करके और पानेवालों के खातों में देय चेक के माध्यम से, पन्द्रह दिनों के भीतर कर दिया जायेगा ।

(4) बाजार मूल्य के अवधारण की तिथि वह तिथि होगी जिस दिन प्रारम्भिक अधिसूचना, धारा 11 के अधीन, निर्गत की गयी थी ।

(5) जहाँ "नजदीक समीपस्थ क्षेत्र" शब्दों का उपयोग धारा 26 की व्याख्या 1 में किया गया हो, वहाँ उससे अभिप्रेत है उस भूमि के ठीक समीप्य भूजोत जिसका अर्जन किया जा रहा है ।

(6) चरणबद्ध रूप में होनेवाली अर्जन प्रक्रिया के लिए और जहाँ भूमि का अर्जन क्रमवार हो रहा है। वहाँ धारा 26 के अधीन यथापरिगणित आधारमूल्य, उक्त अर्जन के लिए अर्जित किये जाने वाले समूचे क्षेत्र के लिए, प्रतिकर दिये जाने हेतु, सभी प्रभावित परिवारों के लिए प्रभावी मूल्य के रूप में लिया जायेगा ।

(7) 5000 (पाँच हजार) हेक्टेयर तक मुआवजा के लिए अधिनिर्णय करने तथा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा करने हेतु उपायुक्त सक्षम होंगे ।

(8) 5000 (पाँच हजार) हेक्टेयर से उपर के लिए उपायुक्त द्वारा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा के के पूर्व राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन आवष्यक होगा ।

(9) जहाँ धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन किसी अधिनिर्णय में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया रकम अधिक साबित हो जाए और वह व्यक्ति भुगतान किया गया उक्त अधिक रकम वापस करने से इन्कार कर दे, वहाँ ससे ऐसी रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी ।

32. निजी वार्ता के माध्यम से भूमि-खरीद की दशा में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध। इस नियमावली के अधीन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में भी लागू होंगे जहाँ विनिर्दिष्ट व्यक्ति से इतर कोई अन्य व्यक्ति भू-स्वामियों के साथ निजी वार्ता के माध्यम से ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 2000 (दो हजार) हेक्टेयर से अधिक भूमि का क्रय करता हो।

अध्याय- VIII

पूनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति एवं अनुश्रवण समिति ।

33. परियोजना स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन ।

(1) राज्य सरकार पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की प्रगति एवं कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन करने के लिए और यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद्, नगर पंचायत या नगर निगम के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन हेतु, परियोजना स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करेगी ।

(2) समिति अपनी पहली बैठक उस समय आहूत करेगी जब प्रशासक द्वारा प्रारूप पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर लिया गया हो। समिति स्कीम पर विचार विमर्श करेगी और सुझाव देगी एवं अनुशंसा करेगी। तत्पश्चात् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया समाप्त होने तक, तक, समिति महीने में कम-से-कम एक बार बैठक करेगी और उसमें पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति का पुनर्विलोकन एवं अनुश्रवण करेगी ।

(3) कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक अंकेक्षणों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ समिति, तीन महीनों में, कम-से-कम एक बार बैठक करेगी ।

(4) समिति यदि इच्छा हो तो, प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित परिवारों से विचार विमर्श कर सकेगी और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र का भी दौरा कर सकेगी ।

(5) समिति के सदस्यों को राजय सरकार के वर्ग 1 के पदाधिकारियों को अनुमान्य दर से यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्राप्त होंगे। राशि का भूगतान परियोजना आथोरिटी द्वारा इस निमित्त उपलब्ध कराये कराये गए राशि से उपायुक्त द्वारा किया जायगा ।

34. राज्य अनुश्रवण समिति का गठन ।

(1) राज्य सरकार अधिनियम के अधीन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम या योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन के लिए राज्य अनुश्रवण्सा समिति का गठन करेगी ।

(2) राज्य अनुश्रवण समिति की पहली बैठक नियमावली प्रकाशन के एक माह के भीतर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए होगी। तत्पश्चात्

समिति की बैठक पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के समीक्षा एवं अनुश्रवण करने के लिए छः महीने में कम-से-कम एक बार, आहूत की जायेगी ।

(3) राज्य अनुश्रवण समिति के सदस्यों को राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारियों को अनुमान्य दर से यात्रा एवं दैनिक भत्ता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट से देय होगा ।

अध्याय- IX

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार

35. भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना ।

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए करेगी ।

परन्तु जबतक ऐसे प्राधिकार की स्थापना न हो, राज्य सरकार, झारखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों को भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के रूप में कार्य करने के लिए घोषित कर सकेगी ।

(2) प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिता वही होगी जो प्राधिकार की स्थापना करने वाली अधिसूचना में वर्णित की जाय ।

(3) ऐसे प्राधिकारों के पीठासीन पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना निर्गत कर के झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, नियुक्त किये जाएगे ।

(4) प्राधिकार के निबंधक एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ता एवं सेवा-शर्तें वही वही होंगी जो राज्य सरकार में कार्यरत सदृश्य ग्रेड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू हों ।

(5) प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते वहीं होंगे जो राज्य में कार्यरत न्यायाधीश पर लागू हों ।

परन्तु यह कि पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृति जिला न्यायाधीश की दशा में, वे अपनी सेवा निवृत्ति के समय अपने द्वारा अंतिम आहरित वेतन, घटाव पेंशन के समतुल्य वेतन के

के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोदभुत अन्य लाभ आहरित करेंगे ।

(6) पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शर्ते वही होगी जो झारखण्ड राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू हो ।

36. प्राधिकार की शक्ति और झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों की वसूली ।

(1) भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार को झूठें दावों या छलपूर्ण साधनों के माध्यम से लिये गये किसी पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों की वसूली के मामलों में व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ होगी ।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा लिये गये पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभ के किसी मामले की जानकारी होती है तो समाहर्त्ता प्राधिकार को निर्देश करंगें जो उस विषय को न्याय निर्णीत करेगा। प्राधिकार द्वारा न्याय निर्णयन किये जाने के पश्चात् इस प्रकार लिये गये लाभ, समाहर्त्ता द्वारा, यदि यदि उक्त लाभ धन के रूप में प्राप्त कर लिया गया हों, तो भू-राजस्व के रूप में और यदि उक्त लाभ लाभ भूमि और घर के रूप में प्राप्त कर लिए गये हो तो गलत करने वालें को भूमि और घरों से बेदखल करके वसूल करने का दायी होगा ।

(3) इस प्रकार खाली की गयी भूमि और घर, यथास्थिति उस परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए या सामूदायिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाये जायेंगे ।

अध्याय- X

अन्यान्य

37. मूल भू-स्वामी को भू-प्रतिवर्तन ।

(1) जहाँ अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि कब्जा लेने की तिथि से परियोजना के संस्थापित होने के लिए निर्धारित समय सीमा या पाँच वर्षों की अवधि इन दोनों में से जो बाद में हो के लिए अनुपयोजित रह जाती है वहाँ अधियाची निकाय को जिसके लिए भूमि अधिगृहित की गयी थी, नोटिस निर्गत करके और सुनवाई का अवसर प्रदान करके राज्य सरकार द्वारा आवश्यक लिखित

आदेश पारित करके उस भूमि को इसके यथास्थिति राज्य सरकार के भूमि बैंकों को वापस कर दी जायेगी ।

(2) राज्य सरकार यथाउपयुक्त लिखित आदेश पारित करने के पश्चात् उस भूमि को यथास्थिति राज्य सरकार के भूमि बैंकों को वापस करने के प्रयोजन से अर्जित भूमि का कब्जा लेने हेतु समाहर्त्ता को निदेश दे सकेगी ।

(3) यदि अधिचाची निकाय समाहर्त्ता को उक्त भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है, तो समाहर्त्ता अधियाची अधियाची निकाय को पूर्व सूचना देकर कब्जा लेने के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी और पुलिस बल की सहायता लेने हेतु सक्षम होंगे ।

38. फार्म आदि ।

इस नियमावली में उल्लिखित प्रपत्रों, प्राक्कलनों की परिगणना के लिए प्रक्रिया-पैटर्न इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में दिये गये है ।

39. कठिनाईयों को दूर किया जाना ।

इस नियम के किसी उपबंधों के निर्वचन में अथवा ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ निदेश देने की शक्तियाँ होगी। इस प्रकार निर्गत निदेश सभी सम्बद्ध पर बाध्यकारी होंगे ।

40. अनुसूची में संशोधन

जब और जहाँ आवश्यक हो, राज्य सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अनुसूची का संशोधन अथवा सुधार के लिए सक्षम होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- (असपष्ट)

सरकार के सचिव ।

अनुसूची

प्रपत्र-1

(नियम-3 देखें)

प्रेषक:

अधियाची निकाय

का नाम एवं/अथवा पदनाम

सेवा में:

समाहर्त्ता,

जिला.....

मैं.....परियोजना/प्रयोजन हेतु.....एकड़ भूमि अर्जित करने का आपसे अनुरोध करता हूँ जिसका विवरण आरेखित नक्शा की तीन प्रतियों के साथ परिशिष्ट I,II, एवं IVमें दर्शाया गया है। मैं भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (एस0आई0ए0) लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत जमा करने को तैयार हूँ ।

जिस भूमि का अर्जन किया जाना है, उसके खतियान की प्रमाणित प्रतियों के साथ परियोजना का डी0पी0आर0, प्रशासनिक स्वीकृति, तथा परियोजना का बजटीय उपबंध इसके साथ संलग्न है ।

मैं आपके द्वारा निर्धारित तिथि या समय पर अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का तत्काल सीमांकन करने तथा सभी आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रस्तुत करने का बचन देता हूँ ।

विश्वासभाजन,

अधियाची निकाय ।

परिशिष्ट-I

जिले का नाम-

ग्राम का नाम	थाना संख्या	राजस्व थाना	पुलिस स्टेशन	अंचल	जिला	खाता संख्या	प्लाट संख्या	कुल खतियानी क्षेत्र (रकबा)	अर्जन किया जाने वाला क्षेत्र	अर्जन की जाने वाली भूमि की चैहद्दी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भूमि का वर्गीकरण	खतियानी रैयत का नाम	पूरा पता सहित वर्तमान रैयत का नाम	जमाबंदी संख्या	आवासीय धरों की संख्या	व्यावसायिक भवनों की संख्या	वृक्षों की संख्या	टंकी	तालाब	बोंरिंग	अर्जन की जाने वाली भूमि की चैहद्दी	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

अधियाची निकाय ।

परिषिष्ट-II

परियोजना का नाम:-

1. गाँव/शहर का नाम:-

2. थाना/वार्ड संख्या:-

3. राजस्व थाना -

4. थाना -

5. अंचल -

6. जिला -

7. भू-अर्जित किये जाने वाले सभी भूखण्डों की संख्याएँ -

(क) सम्पूर्ण भूखण्डों की संख्या -

(ख) भाग भूखण्डों की संख्या -

8. अध्यपेक्षा के अधीन कुल क्षेत्रफल (एकड़ में) -

(क) भू-अर्जित किये जाने वाले मुल क्षेत्रफल की चैहद्दी -

उत्तर -

दक्षिण -

पूरब -

पश्चिम -

9. बंजर, कृषि तथा सिंचित बहुफसलीय भूमि का क्षेत्रफल -

10. कृषि तथा बहुफसलीय भूमि को शामिल करने के कारण -

11. परिशिष्ट -I के आधार पर भवनों, ढ़ांचों, टैंकों, कुओं, पेडों, बांधों आदि का विवरण -

12. भू-अर्जन के लिए धार्मिक भवनों, श्मशान या कब्रगाह आदि को शामिल करने के कारण, यदि को हो -

अधियाची निकाय ।

परिषिष्ट -III

परियोजना का नाम:-

1. विभाग या सरकार या अन्य, स्थानीय प्राधिकार, संस्थान:

2. अधियाची निकाय का अधिकारिक पदनाम:-

3. भू-अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रूप में):-

4. क्या कि सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2(1) (एफ) के अधीन अपने प्रयोग एवं नियंत्रण के लिए अध्यापेक्षा की गयी है?

5. क्या कि अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) से 2 (1) (एफ) के अधीन अधियाचना दायर की गयी है?

6. क्या कि अधिनियम की धारा 2 (2) (ए) या (बी) के अधीन अध्यापेक्षा की गयी है?

7. अधिनियम की धारा 3 (सी) (i) से (v) के अधीन उल्लिखित के अनुसार कितने परिवार प्रभावित है।

8. सामाजिक प्रभाव अध्ययन से छूट से संबंधित धारा के अधीन अध्यपेक्षा की गई है।

9. क्या कि अधिनियम की धारा-40 के अधीन अध्यापेक्षा की गयी है।

10. यदि हाँ, तो किस अधार पर?

11. क्या कि जिस जमीन का भू-अर्जन किया जाना है, उसे भू-स्वामी के साथ बातचीत के द्वारा अधिकार में ले लिया गया है?

12. यदि हाँ, तो किस तिथि को एवं किन शर्तों पर (कृपया बातचीत की शर्तों का संक्षितस उल्लेख करें तथा इसकी कॉपी अनुलग्न करें)

13. परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की निर्गत की तिथि (प्रति अनुलग्न करें)

14. यदि अधियाचना परियोजना की प्रशासनिक अनुमोदन के छः ससाह बाद दायर की गयी है, तो अधियाचना दायर करने में विलम्ब का कारण ।

15. जमीन पर कब्जा कब तक अपेक्षित है ।

अधियाची निकाय ।

परिषिष्ट –IV

परियोजना का नाम:-

अधियाची प्राधिकार द्वारा भ-अर्जन के लिए अध्यपेक्षा के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

1. प्रमाणित किया जाता है कि जिस परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किया जायेगा उस में विभागीय पत्रांक-.....दिनांक-..... के अधीन प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया जा चुका है।

2. कि रूपये..... की राशि स्थायी अर्जन के लिए और/या रूपये.....की राशि अस्थायी अर्जन के लिए जैसा अधिनियम के अध्याय-Xi के अधीन उपबंधित हैं, विभाग के बजट प्राक्कलन में वर्ष.....शीर्ष.....के अधीन अर्जन की लागत पूरी करने के लिए उपबंधित है।

3. भू-अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश की स्थिति में यथास्थिति समाहर्त्ता/उपयुक्त सरकार द्वारा जब कभी ऐसा करने को कहा कहा जायेगा, विभाग पूरी राशि के भुगतान का वचन देता है।

अधियाची निकाय।

परिषिष्ट -V

परियोजना का नाम:-

समाहर्ता का 18 बिन्दूओं पर प्रमाण पत्र-

1. प्रमाणित किया जाता है कि अध्यपेक्षा कागजात की पूर्णतया छानबीन कर ली गयी है ।

2. परियोजना विधिसम्मत और सद्भावी लोक प्रयोजन के लिए है ।

3. परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का केवल न्यूनतम क्षेत्र, अर्जन के लिए प्रस्तावित किया गया है ।

4. ऐसी कोई अनुपयोगी भूमि नहीं है जिसे पहले इस क्षेत्र में अर्जित किया गया है ।

5. सभी विकल्पों पर विचार करने के प्श्चात् अर्जनाधीन भूमि का चयन किया गया है ।

6. परियोजना अनुरेखीय/गैर-अनुरेखीय प्रकार की है ।

7. अर्जन के अधीन भूमि, बंजर/अकृषित/कृषि/सिंचित बहु-फसलीय/वाणिज्यिक है ।

8. जिला में सिंचित बहु-फसलीय एवं कृषि भूमि के अर्जन के लिए सरकार द्वारा विहित और नियत सीमा से, अर्जन के अधीन का कुल क्षेत्र अधिक नहीं है ।

9. सामाजिक लागत और विपरित सामाजिक प्रभाव से परियोजना का संभावित लाभ बहुत अधिका है ।

10. कब्जा करने के पश्चात् भूमि का उपयोग उसी के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए अर्जन किया गया हो ।

11. अधियाची निकाय, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन व्यय सहित अर्जन लागत का वहन करने में समर्थ है ।

12. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि अर्जन के अधीन नहीं है ।

13. कोई सरकारी भूमि अर्जन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है ।

14. कोई मंदिर, मस्जिद, कर्बिस्तान, श्मशान अथवा कोई अन्य धार्मिक संरचना अर्जन के अधीन नहीं है ।

15. अर्जन के अधीन भू-हदबंदी से प्रभावित कोई सीलिंग लैंड नहीं है ।

16. अर्जन के कारण भू-स्वामी अथवा रैयत, भूमिहीन होंगे/भूमिहीन नहीं होंगे ।

17. इस भूमि अर्जन की कार्यवाही पर कोई विशेष विरोध नहीं है ।

18. अधियाची निकाय प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन कार्यों एवं अन्य अनुमान्य लाभों को सुनिश्चित करेगा ।

अधियाची निकाय ।

प्रमाणित किया जाता है कि अधियाची निकाय ने उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत कर दी है ।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी। अपर समाहर्ता। समाहर्ता।

प्रपत्र –II

भाग क -एस0 आई0 ए0 के लिए विचारणीय विषय और प्रक्रियागत फीस

(नियम 6 का उप-नियम (1) देखें)

(1) राज्य एस0 आई0 ए0 इकाई समुचित सरकार द्वारा भेजे गये भूमि अर्जन प्रस्ताव की पुनर्विलोकन करेगी और परियोजना विशेष विचारणीय विषय (टी0 ओ0 आर0) और बजट को प्रस्तुत करेगी। टी0 ओ0 आर0 और बजट के आधार पर एक प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) फीस अवधारित की जायेगी जो एस0 आई0 एवं की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व अधियाची निकाय द्वारा जमा कराई जायेगी ।

(2) टी0 ओ0 आर0 में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी:-

(i) परियोजना का संक्षिप्त विवरण, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार ।

(ii) एस0 आइ0 ए0 के उददेश्य और एस0 आई0 ए0 द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य ।

(iii) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आध्धार पर एस0 आई0 ए0 प्रक्रिया का अनुक्रम, समय सारणी और तारीख के साथ परिणाम दर्शित किए जाने की अंतिम निश्चित तिथि तथा ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति लेनी अपेक्षित है अथवा नहीं?

(iV) विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित एव0 आई0 आई0 ए0 निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेयर सहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाइल।

(V) प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप की लागत का अलग-अलग स्पष्ट विवरण के साथ टी0ओ0आर0 के आधार पर कोई परियोजना-विनिर्दिष्ट बजट ।

(vi) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुस्पष्ट विनिष्चित परिणाम के लिए गठित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल को निधि का समवितरण करने की समय सारणी ।

(3) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनशीलता पर आधारित होगा। पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रक्रिया संबंधी फीस बैंड और लागत से संबंधित जानकारी सुसंगत और आसान पहूंच में होनी चाहिए, जिससे अधियाची निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके। इन दरों का समय-समय पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षित करना चाहिए। फीस का एक निश्चित अनुपात राज्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा ।

भाग-ख

एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना

(देखें नियम 6 का उप-नियम (1)

एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना में ये अवश्य शामिल होंगे ।

(i) परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।

(ii) एस0 आई0 ए0 के प्रमुख उददेश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत हैं (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण (सर्वे) (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ ।

(iii) यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए ।

(iv) एस0 आई0 ए0 के लिए टाईमलाइन और अंतिम परिदेय (एस0 आई0 ए0 प्रतिवेदन और एस0 आई0 एम0 पी0) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(v) यह कथन किस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा ।

(vi) राज्य एस0 आई0 ए0 इकाई की सम्पर्क सूचना ।

प्रपत्र -III

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

(देखें नियम 6 के उप नियम 3)

भाग- क- एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर।

परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा

* उम्र, लिंग, जाति, धर्म
* साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति

2. गरीबी के स्तर

3. दुर्बल समूह

(क) महिलाएँ, (ख) बच्चे, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री प्रदान गृहस्थियां, (ड़) निःशक्त व्यक्ति,

(च) विभिन्न रूप में सक्षम

4. बन्धुता का पैटर्न एवं परिवार में महिलाओं की भूमिका

5. सामाजिका एवं सांस्कृतिक संगठन

6. प्रशासनिक संगठन

7. राजनीतिक संगठन

8. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक आन्दोलन

9. आजीविका एवं उपयोग हेतु भूमि

- o कृषि एवं गैर कृषि संबंधी उपयोग
- o भूमि की गुणवत्ता-मिट्टी, जल, वृक्ष आदि
- o पशुधन
- o औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्य एवं रोजगार
- o श्रम का गृहस्थी में श्रम विभाजन एवं महिलाओं के कार्य

- o प्रवास
- o गृहस्थी के आय स्तर
- o आजीविका की प्राथमिकता
- o खाद्य सुरक्षा

10. स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

- o औपचारिक एवं अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग
- o ऋण तक पहूंच
- o मजदूरी दर
- o विशिष्ट आजीविका के कार्यकलाप जिसमें महिलाएं सम्मिलित होती हैं।

11. स्थानीय आजीविका में योगदान देनेवाले कारक

- o प्राकृतिक संसाधनों तक पहूंच
- o आम संपति संसाधन
- o निजी आस्तियाँ
- o सड़क, परिवहन
- o सिंचाई सुविधाएँ बाजार तक पहूंच
- o पर्यटक स्थल
- o आजीविका उन्नयन कार्यक्रम
- o सहकारी एवं अन्य आजीविका संबंधी संघ

12. जीवंत वातावरण की गुणवत्ता

- o बोध, सौन्दर्यपरक गुण, लगाव एवं महत्वकांक्षा
- o समझौता के प्रतिरूप (पैटर्न)
- o गृह
- o सामुदायिक एवं नागरिक स्थल
- o धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल
- o भौतिक आधारभूत संरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य, सुविधाएं, आंगनबाड़ी केन्द्र एवंज न वितरण प्रणाली)
- o सुरक्षा, अपराध, हिंसा
- o महिलाओं हेतु सामाजिक जमावड़ा के स्थल

भाग-ख- प्रमुख प्रभाव क्षेत्र

1. भूमि, आजीविका एवं आय पर प्रभाव

- o अंतर गृहस्थी में रोजगार का स्तर और प्रकार
- o आय के स्तर
- o खाद्य सुरक्षा
- o जीवन निर्वाह का स्तर
- o उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण और पहूंच
- o आर्थिक अवलम्ब या सुभेद्यता
- o स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन
- o दरिद्रता का जोखिम
- o आजीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहूंच

2. भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

- o प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, हवा, जल, वनों पर प्रभाव
- o जीविका के लिए भूमि तथा सार्वजनिक सम्पति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

3. निजी सम्पतियों, लोक सेवाओं तथा उपयोगिताओं पर प्रभाव

- o विद्यामान स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं की क्षमता
- o आवास सुविधाओं की क्षमता
- o स्थानीय सेवाओं की आपूर्ती पर दबाव
- o विद्युत एवं जलापूर्ति, सड़क, स्वच्छता तथा कचड़ा प्रबंधन प्रणाली की सुनिश्चिता
- o बोर वेल, अस्थायी शेड आदि जैसी निजी सम्पतियों पर प्रभाव।

4. स्वास्थ्य प्रभाव

- o आव्रजन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव
- o परियोजना कार्यकलापों पर विशेष जोर देने के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव
- o महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव
- o वृद्धों पर प्रभाव

5. संस्कृति एवं सामाजिक समरसता पर प्रभाव

- o स्थानीय राजनीतिक ढांचों का रूपान्तरण
- o जन संख्यिकीय परिवर्तन
- o अर्थव्यवस्था प्र्यावरण सन्तुलन में विचलन
- o मानदण्डों, मान्यताओं मूल्य तथा संस्कृतिक जीवन पर प्रभाव
- o अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप
- o विस्थापन का तनाव
- o पारिवारिक सम्बद्धता के अलगाव का प्रभाव
- o महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

6. परियोजना चक्र के विभिन्न चरणें पर प्रभाव

सामाजिक प्रभाव का प्रकार, समय, अन्तराल तथा प्रभाव परियोजना चक्र पर निर्भर करेगा तथा निकटतः संबंधित होगा। प्रभावों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही हैः-

निर्माण-पूर्व चरण

- सेवाएं उपलब्ध कराने में व्यवधान
- उत्पादनकारी निवेश में गिरावट
- भूमि की अटकलबाजी
- अनिश्चितता का तनाव

निर्माण चरण

- विस्थापन और पुनःअवस्थापन
- प्रवासी निर्माण श्रमिकों का आगमन
- निर्माण स्थल के समीप रहने वालों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

परिचालन चरण

- निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी

- परियोजना के आर्थिक लाभ

- नयी आधारभूत संरचना का लाभ

- सामाजिक संगठनों की नयी रीति

कार्य से हटाने वाला चरण

- आर्थिक अवसरों की हानि

- पर्यावरण में गिरावट तथा इसका आजीविका पर प्रभाव

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव

- "प्रत्यक्ष प्रभाव" में प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किये जानेवाले सभी संभावित प्रभाव सम्मिलित होंगे

- "प्रत्यक्ष प्रभाव" में वे सभी प्रभाव शामिल होंगे, जिनका अनुभव उन्हें हो सकता है जो भूमि अधिग्रहण (यथा-प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं आजीविका खोनेवाले) से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि उन्हें, जो परियोजना क्षेत्र में वास करते हैं

अंतरीय प्रभाव

- महिला, बच्चा, प्रौढ़ तथा विशिष्ट योग्य पर प्रभाव

- जेन्डर इम्पैक्अ ऐसेसमेन्ट चेकलिस्ट एवं कोमलता तथा लोच मानचित्रण जैसे साधनों (औजारों) से अभिन्न प्रभाव

संचयी प्रभाव

- संदेहवाली परियोजनाओं के लिये अभिन्न प्रभाव के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य तथा संभावित प्रभाव।

- प्रत्यक्षतः नहीं, किन्तु स्थानीय या यदाकदा क्षेत्रीयता के आधार पर, जो परियोजना क्षेत्र में आते हैं, उन पर प्रभाव।

भाग-ग

एस0 आई0 ए0 प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के विषय- वस्तुओं की सारणी।

अध्यायविषय-वस्तु	
कार्यकारी सारांश	परियोजना तथा लोक प्रयोजन
	अवस्थिति
	भूमि अधिग्रहण का आकार तथा विशेषता
	विचारित विकल्प
	सामाजिक प्रभाव कम करने के उपाय
	सामाजिक मूल्य तथा लाभ का मूल्यांकन
विस्तृत परियोजना विवरण	विकासकों की पृष्ठभूमि तथा गवर्नेंस/प्रबंधन ढ़ांचा सहित
परियोजना की	
	पृष्ठभूमि
	परियोजना का मूलाधार, जिसमें इसे शामिल किया जाय कि परियोजना किस प्रकार अधिनियम में सूचिबद्ध लोक प्रयोजन के मानक के अनुकूल हैं।
	विकल्पों की जाँच
	परियोजना निर्माण के चरण
	सुविधाओं के प्रकार एवं आकार तथा कोर डिजायन विशिष्टियां
	आधारभूत संरचनागत सहायक सुविधाओं की आवश्यकता
	कार्यबल (अस्थायी एवं स्थायी) की आवश्यकता
	यदि पूर्व से संचालित है तथा कोई तननीकी औचित्य प्रतिवेदन हो तो एस0 आई0 ए0 अथवा इ0 आइ0 ए0 का विवरण
	लागू किए गए विधान और नीतियां

दल संयोजन, पहूंच एस0 आइ0 में लैंगिक ए0 का वर्गीकरण तथा अनुसूची	शैक्षनिक योग्यता सहित दल के सभी सदस्यों की सूची।(दल विशेषज्ञता को शामिल किया जाय)
	एस0 आई0 ए0 के लिए सूचना एकत्र करने में प्रयुक्त प्रणाली तथा औजार का विवरण एवं मूलाधार
	प्रयुक्त प्रतिदर्श प्रणाली
	प्रयुक्त सूचना/डाटा स्त्रोतों की जांच। फारमों में विस्तृत संदर्भ को अलग अलग से निश्चित रूप से शामिल किया जाय।
	प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची। लोक सुनवाईयों के व्योरे और विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में प्रारूपों में सम्मिलित करना।
भूमि का मूल्यांकन	मानचित्रों, भू सम्पति-सूची तथा प्राथमिक स्त्रोंतों से प्राप्त (अर्जन हेतु भूमि क्षेत्र की सीमा नहीं)
	परियोजना के प्रभाव के अधीन प्रभाववाले सम्पूर्ण क्षेत्र (अर्जन हेतु भूमि क्षेत्र की सीमा नही)
	परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि
	किसी सार्वजनिक, परियोजना क्षेत्र के पड़ोस की अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग
	भूमि (यदि कोई हो) जिसके प्रत्येक खंड का अभीष्ट प्रयोग परियोजना के लिये अपेक्षित है, पहले ही खरीद लिया गया है, हस्तांतरित, पटटे पर या अर्जित कर लिया गया है।
	परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा एवं अवस्थिति
	कृषि भूमि होने पर कुल सिंचित क्षेत्र एवं फसल लगाने की रीति तथा भूमि की प्रकृति, वर्तमान प्रयोग एवं वर्गीकरण

	जोत-क्षेत्रों का आकार, स्वामित्व की रीति, भूमि का वितरण तथा आवासीय भवनों की संख्या
	जमीन का मूल्य एवं उसके गत तीन (3) वर्ष से उपर उपयोग करने पर उसके स्वामित्व तथा अन्तरण में अद्यतन परिवर्तन
प्रभावित परिवारों एवं परिसम्पतियों का प्राक्कलन तथा नाम निर्देशन	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन, जो: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं (अपनी भूमि, जो अर्जन हेतु प्रस्तावित है): कास्तकारहै/ अर्जन हेतु प्रस्तावति भूमि उसके अधिकार में है
(जहां अपेक्षित हो)	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी हैं जिन्होंने अपना वनवासी होन का कोई अधिकारी खोया है।
	सार्वजनिक सम्पदा संसाधनों पर आश्रित है तथा जिसकी उनकी आजीविका के लिये अर्जन के कारण क्षति, हुई है।
	राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अपने किसी स्कीम के अधीन भूमि समनुदेशित की गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अधीन है।
	भूमि अर्जन के तीन वर्ष पूर्व से अथवा उससे अधिक से शहरी क्षेत्रों में किसी भूमि पर रह रहा हो
	भूमि अर्जन के तीन वर्ष पूर्व से आजीविका के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में अर्जित की गई भूमि पर आश्रित हो
	परियोजना से अप्रत्यक्षतः प्रभावित हो चुका हो (अपनी भूमि के अर्जन द्वारा प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं)
सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाईल	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या की जनसांख्यिकी ब्यौरा आय और गरीबी स्तर
(प्रभावित क्षेत्र और	सुभेद्य समूह
पुनर्व्यवस्थापन स्थल का)	भूमि उपयोग और आजीविका
	स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

	वह कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं
	नजदीकी पैटर्न और और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
	प्रशासनिक संगठन
	राजनीतिक संगठन
	समुदाय आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन क्षेत्रीय गतिकी और ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया
	जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता
सामाजिक प्रभाव	प्रभाव की पहचान करने की रूपरेखा और मार्ग
	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव का विवरण जैसे स्वास्थ्य एवं आजीविका एवं संस्कृति पर। हरेक प्रकार के प्रभाव के लिए अलग संकेत, क्या यह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न कोटियों पर प्रभाव और संचयी प्रभाव कहां लागू है
	प्रभाव क्षेत्रों की संकेतात्मक सूची जिसके अंतर्गत हैः भूमि का प्रभाव, आजीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी परिसंपतियां, जन सेवा और उपयोगिता, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सम्बद्धता और लिंग आधारित प्रभाव
लागत और लाभ का विश्लेषण	अंतिम निष्कर्ष: लोक प्रयोजन का मूल्यांकन, कम विस्थापन विकल्प,
	विकल्प,
और अर्जन पर अनुशंसा	भूमि की न्यूनतम आवश्यकता, सामाजिक प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता, कम करने के उपाय की व्यवहार्यता और वह विस्तार जिससे एस0आई0एम0पी0 में वर्णित कम करने के उपाय, सामाजिक प्रभावों एवं विपरीत सामाजिक लागत का संपूर्णता से हल निकालेंगे।
निर्देश और प्रपत्र	निर्देश और अधिक सूचना के लिए।

प्रपत्र –IV

(नियम 6 का उप-नियम (4) देखें)

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

(क) कमी करने का मार्ग

(ख) प्रभाव को दूर करने, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

(ग) अधिनियम में यथा उल्लिखित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों में सम्मिलित उपाय

(घ) ऐसे उपाय कि जिसे अधियाची निकाय ने कहा हो कि इसे परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ड़) अतिरिक्त उपाय कि जिसे अधियाची निकाय ने कहा है कि वह एस0आई0ए0 प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षों के उत्तर में कार्य करेगा ।

प्रपत्र V

भाग-क

पूर्व लिखित सहमति अथवा घोषणा प्रपत्र

(नियम 18 का उप-नियम (1) देखें)

क्र0सं0 संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा

1 व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम जिसके नाम से भूमि रजिस्ट्रीकृत है

2 पति/पत्नी का नाम

3 पिता/माता का नाम

4 पता

5 ग्राम/ मुहल्ला

6 ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर-क्षेत्र

7 अंचल/ अनुमंडल

8 जिला

9 परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और उम्र (बच्चों और व्यस्क आश्रित सहित)

10 स्वामित्व वाली भूमि का विस्तार

11 अर्जन का क्षेत्र

खाता एवं खेसरा सं0

विवादित भूमि, यदि कोई हो

12 पर्चा/पट्टा/अनुदान, यदि कोई हो

13 अभिधृति सहित कोई अन्य अधिकार यदि कोई हो

14 सरकार द्वारा मेरी भूमि का अर्जन किए जाने के संबंध में मैं निम्नलिखित कहना चाहता हूँ (कृपया नीचे किसी एक को घेर दें)

मैंने इस सहमति प्रपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है तथा मुझे.....भाषा में इसे समझा दिया गया है और

मैं इस अर्जन से सहमत नहीं हूँ/मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।

प्रभावित परिवार (परिवारों) का

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान एवं तिथि:

ध्यातव्य 1: अपनी भूमि के बदले में भूस्वामी को दी जाने वाली चीज एवं उनके पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में सभी सूचनाएं इस प्रपत्र पर उनका हस्ताक्षर लिए जाने के पूर्व उपलब्ध करानी होगी। इस प्रपत्र के साथ ये निबंधन एवं शर्तें संलग्न रहेंगी।

हस्ताक्षरित प्रपत्र प्राप्त करने वाले अभिहित

जिला के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

ध्यातव्य 2: किसी भूस्वामी द्वारा सहमति देने से इंकार करने की स्थिति में या इस प्रपत्र पर अपनी अपनी सहमति न देने की बात करने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को धमकी देना या किसी प्रकार की

की हानि करवाना कानूनन अपराध है। ऐसी धमकी या कृत्य धन-हानि, शारीरिक क्षति या परिणामस्वरूप उनकी पारिवारिक कोई क्षति सम्मिलित हैं। ऐसी किसी भी धमकी की स्थिति में यह प्रपत्र अकृत एवं शून्य होगा।

भाग-ख

ग्राम सभा संकल्प हेतु फार्मेट

नियम 20 का उप-नियम (1) देखें

हमलोग, अधोहस्ताक्षरी सदस्य ग्राम सभा.....पंचायत.....अंचल..... ..... जिला..... , कहना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणन प्रशासन एवं पदधारियों द्वारा दीय गई सूचना पर आधारित है। यदि यह सूचना अपूर्ण या गलत और/या कोई कोई सहमति किसी प्रकार की धमकी, धोके अथवा अन्यथा कथन द्वारा प्राप्त की गई है, तो यह अकृत एवं शून्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा एतद् द्वारा यह प्रमाणित करती है कि यह प्रस्तावित परियोजना, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, को सहमति देता है या सहमति देने से इंकार करता है-

- ..... एकड़ निजी भूमि का अर्जन
- ..... एकड़ सरकारी जमीन परियोजना को अंतरण
- ..... एकड़ वन भूमि परियोजना को अंतरण

अधियाची निकाय (नाम-.....) द्वारा स्वीकृत प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों के निबंधन एवं शर्तों तथाा सामाजिक प्रभाव प्रशमन उपाय संलग्न हैं ।

ग्राम सभा यह भी कहती है कि कोई भी सहमति वन एवं भूमि पर अपना सभी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का हक एवं उनके द्वारा फसल उपाजाये जाने वाले वन्य भूमि पर हक, उनके उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लघु वन उत्पाद के हरेक रूपों पर स्वामित्व हक, और उनके सामुदायिक वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन की हक प्राप्त करने वाले इसके सभी निवासियों के अध्यधीन अध्यधीन है ।

(ध्यातव्य: यह इस ग्राम सभा द्वारा अलग-अलग प्रमाणित किया जाना होगा।)

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठे की निशान एवं तिथि:

संकल्प की पावती पर अभिहित जिला

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

प्रपत्र V

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम ..... थाना..... थाना सं0..... अंचल..... जिला..... में कुल..... एकड़ यानि..... हे0 भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना..... हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा-निम्न हैः -

.....

.....

.....

..... भू अर्जन के कारण कुल ..... परिवारों के विस्थापित होने की

संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किय जाता है कि ग्राम- ..... थाना ..... थाना सं0..... अंचल..... जिला..... में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश..... एकड़ यानि..... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....

.....

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखं्ाड सं0	स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखं्ाड सं0)			
						उ0	द0	पू0	प0

यदि अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी..... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रतिष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के

संचालन करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी ..... और उनके कर्मचारी..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी..... के समक्ष दज की जा सकेगी।

- चूंकि उक्त भूमि परियोजना हेतु तुरंत अपेक्षित है, अतएव राज्य सरकार ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्यान्वित नहीं करने का विनिश्चय किया है ।
- जो लागू नहीं हो, उसे हटा दें।

राज्यपाल/समाहर्ता के आदेश से ।

प्रपत्र VI

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना..... हेतु ग्राम..... थाना..... थाना सं0.....

अंचल..... जिला..... में कुल..... एकड़ यानि..... हे0 भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषण किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश..... एकड़ यानि ..... हेक्टेयर है और जो ग्राम ..... थाना ..... थाना संख्या..... अंचल..... जिला..... में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
						उ0	द0	पू0	प0

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपतियांे के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिपत विवरण निम्नवत हैः

ग्राम..... थाना..... थाना सं0..... अंचल..... जिला..... क्षेत्रफल..... एकड़.....यानि..... हे0

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी..... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये है:-

.....

.....

.....

राज्यपाल/समाहर्ता के आदेश से

प्रपत्र VII

देखें नियम 28 (5)

भू अर्जन के कारण अनु0 जाति/जनजाति के विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के अधीन विकासात्मक योजना का प्रारूप।

क्रम सं0	दावेदार/परिवार के मुखिया के नाम	स्थायी पता	हकदारी	अभ्युक्ति
			1. कृषि, बागवानी, पशु चारागाह के लिए प्रत्येक परिवार को एक एकड़ तक जमीन दिया जायेगा। 2. प्रत्येक परिवार को रहने के लिए आवासीय इकाई के उपबंध इन्दिरा आवास, पेय जल सुविधा, शौचालय इत्यादि 3. प्रत्येक परिवार को एक लाख पचास	

			हजार की वित्तिय सहायता एक बार दी जायेगी। **4.** मनरेगा और कोई अन्य जॉब उपलब्ध करानेवाली स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जायेगा। **5.** प्रभावित परिवार के युवकों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा दक्षता का विकास। **6.** विस्थापित परिवार के लिए एक वर्ष हेतु प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में तीन हजार रू0 अधिनिर्णय की तिथि से मंजूर किया जाना चाहिए। **7.** प्रत्येक प्रभावित परिवार को गोशाला एवं छोटी दुकान के लिए कम से कम पचीस हजार रूपये दिये जायेंगे।	

प्रपत्र IX

भू-अर्जन अधिनिर्णय

(अधिनियम-30/2013 की धारा-23 एवं 30 के अधीन)

भू-अर्जन वाद संख्या-

1 परियोजना के नाम -

2 अधिघोषणा की सं0 तथा तिथि जिसके अधीन भूमि अर्जित किया जाना है -

3 अधिघोषणा का सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की सं0 एवं तिथि -

4 अर्जनाधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)-

5 सर्वे नक्शा में भूखंड की संख्या, गाँव जिसमें यह अवस्थित है, साथ ही मील योजना, यदि कोई हो-

6 भूमि का विवरण, अर्थात् क्या परती भूमि, कृष्य, वासगीत, व्यावसायिक भूमि इत्यादि । यदि कृष्य है, तो कैसे कृष्य है?

7 भूमि में हितबद्ध लोगों की नाम एवं संख्या और उनकी अपनी-अपनी हितबद्धता की प्रकृति-

8 भूमि हेतु स्वीकृत राशि, वृक्ष रहित, भवन रहित इत्यादि, यदि कोई हो-

9 भूमि में पट्टेधारी के हित में ऐसे स्वीकृत राशि में से प्रतिकर के रूप में देय राशि-

10 परिकलन के आधार

11 धारा 13 के अधीन क्षति की राशि, यदि कोई हो-

12 धारा 28 के अधीन क्षति का विवरण, यदि कोई हो-

13 वृक्ष, मकान या कोई अन्य अचल सम्पति हेतु स्वीकृत राशि-

14 खड़ी फसल एवं वृक्ष हेतु स्वीकृत राशि-

15 धारा 30 (1) के तहत् संत्वना राशि-

16 धारा 30 (3) के अधीन भूमि के बाजार मूल्य पर अतिरिक्त राशि-

17 धारा 40 (5) के अधीन आपातिक मामलों में अतिरिक्त राशि, यदि लागू हो तो-

18 कुल मुआवजा की राशि (भूमि, सरचनाओं एवं क्षति सहित)-

19 धारा 80 के अधीन सूद की राशि, यदि कोई हो तो-

20 सरकारी राजस्व के उपशमन का विवरण जिस तिथि से उपशमन प्रभावी होता हो उस तिथि से पूँजीकृत मूल्य चूकता करना-

21 धारा-23 एवं 30 के अधीन पंचाट-

22. व्यक्तिगत पंचाट का विवरण-

प्रतिकर की राशि का संविभाजन

क्र0 सं0	अर्जनाधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल मुआवजा की राशि	दावेदार का नाम	बैंक खाता संख्या	प्रत्येक को भुगतेय राशि (रूपये में)	अभ्युक्ति

23. अधिनियम 30/2013 की 38 (1) एवं धारा 40 (1) के अधीन भूमि को जिस तिथि को दखल-कब्जा में लिया गया -

यदि दखल-कब्जा धारा 40 (1) के अधीन है तो ऐसा प्राधिकार देने वाला सरकार का आदेश संख्या एवं तिथि-

तारीख.....

समाहर्ता

प्रपत्र X

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(अधिनियम की द्वितीय अनुसूची देखें)

भू-अर्जन वाद संख्या-

1 परियोजना का नाम-

2 अघोषणा सं0 एंव तिथि जिसके अधीन भूमि का अर्जन किया जाना हो की संख्या

3 भूमि की अवस्थिति एवं विस्तार-एकड़ में

सर्वेक्षण मानचित्र पर क्षेत्र खंडों की संख्या, वह गाँव जहाँ मील योजना यदि कोई हो, सहित

4 भवन इकाई का विवरण, आई0ए0वाई0, परिवहन खर्च, आवास भत्ता, वार्षिकी, रोजगार, जीवन निर्वाह अनुदान, पशुशाला, छोटी-मोटी दुकान, एक बारगी पुनर्वास भत्ता इत्यादि।

5 भूमि में हितबद्ध रखनेवाले व्यक्तियों के नाम और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अपने-अपने दावों की प्रकृति।

6 प्रतिकर की राशि का संविभाजन क्षेत्रफल (एकड़ में) क्रम सं0 दावा करने वालों के नाम/प्रभावित परिवार पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदार बैंक खाता संख्या प्रतयेक को देय रकम गैर अनुश्रवणीय की हकदारी अभ्युक्ति

आवंटन किए जाने वाले आवास

आवंटन की जानेवाली भूमि

मत्स्य ग्रहण अधिकार

रोजगार

परिवहन खर्च

आवास भत्ता

वार्षिकी

जीवन-निर्वाह अनुदान

पशुशाला

छोटी-मोटी दुकान

एक बारगी पुनर्वास भत्ता

एक बार पुनर्व्यवस्थान भत्ता

7. तारीख जब प्रभावित परिवार को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था के हकदारी दी गई।

तारीख.....

प्रशासक समाहर्ता आयुक्त

प्रपत्र XI

(अधिनियम-30/2013 की तृतीय अनुसूची तथा नियम 30 (2) देखें)

भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अधीन आधारभूत संरचनात्मक साधन-सुविधाओं के उपबंध का फार्मेट।

क्र0 सं0	संघटक आधारभूत संरचनात्मक/साधन-सुविधाओं का विवरण
1	सड़क
2	जल निकास
3	पेय जल
4	पशु के लिए पेय जल
5	चारागाह के लिए भूमि
6	उचित मूल्य की दूकान
7	पंचायत घर
8	डाक घर
9	खाद भंडार
10	सिंचाई सुविधाएं

11	परिवहन सुविधाएं
12	कब्रगाह और श्मशान घाट
13	शौच घर
14	विद्युत सम्बद्धता
15	पोषण सेवा
16	विद्यालय
17	उप स्वास्थ्य केन्द्र
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
19	क्रीड़ा स्थल
20	सामुदायिक भवन
21	उपासना स्थल
22	जनजाति संस्था के लिए पृथक भूमि
23	इमारती वन उत्पाद
24	सुरक्षा प्रबंधन
25	पशु चिकित्सा

प्रशासक समाहर्ता आयुक्त

प्रक्रिया पैटर्न

दर प्रतिवेदन का प्रपत्र

भू-अर्जन वाद संख्या-

परियोजना का नाम-

ग्राम.....थाना

संख्या.....अंचल.....जिला.....

1	उस परियोजना का नाम जिसके लिए भूमि अर्जन किया जा रहा है
2	अधियाची निकाय का नाम

3 अध्यपेक्षा दायर करने की तारीख

4 अधिनियम की धारा 4 (2) के अधीन एस0आई0ए0 की अधिसूचना की तारीख

5 (क) धारा 11 (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख

(ख) धारा 19 (1) के अधीन अधिघोषण के प्रकाशन की तारीख

(ग) धारा 40 (1) के अधीन आदेश प्राप्ति की तारीख

(घ) धारा 15 (1) अधीन नोटिस के निर्गत की तारीख

(ड़) धारा 21 (1) के अधीन नोटिस के निर्गत की तारीख

6 (क) तारीख जब अधियाची प्राधिकार ने भूमि पर दखल-कब्जा ग्रहण किया

(ख) अधिनियम के अधीन औपचारिक अध्यपेक्षा की प्रत्याशा में अभिरूची रखनेवाले के साथ अनुबंध द्वारा या

(ग) अधिनियम की धारा 38 (1) के अधीन, या

(घ) अधिनियम की धारा 40 (1) के अधीन

7 अर्जनाधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) एवं गुणात्मक वर्गीकरण का ब्यौरा

8 अर्जनाधीन भूमि के वर्गीकरण का आधार

9 भूमि का अधिकतम उच्चतम दर

10 भूमि का न्यूनतम निम्नतर दर

11 धारा-26 के अधीन भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण

12 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य

13 कोई अन्य तरीका जैसे अधियाची और अभिरूची रखने वाले व्यक्ति के बीच कोई ऐसी करार

14 धारा 11 (2) के अधीन एस0आई0ए0 अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष पूर्ववर्ती का विक्रय आंकड़ा या विलेखों का विवरण संलग्न करें

15 धारा 26 (3) के अधीन प्रति एकड़ बाजार मूल्य का डनसजपचसल थ्ंबजवत से गुणित

16 धारा 11 (2) के अधीन एस0आई0ए0 अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष पूर्ववर्ती का विक्रय आंकड़ा या विलेखों का विवरण संलग्न करें

17 आवासों/संरचनाओं की संख्या एवं संलग्न प्रपत्र 9 (क) के आधार पर इसका मूल्यांकन

18 कुओं, तालाबों एवं बोरिंग की संख्या और संलग्न फार्म 9 (ख) के आधार पर इसका मूल्यांकन

19 खड़ी व़ृक्षों और पौधों की संख्या और संलग्न प्रपत्र 9 (ग) के आधार पर इसका मूल्यांकन

20 संलग्न 9 (घ) के आधार पर खड़ी फसलों को हुई क्षति का मूल्यांकन

21 अर्जनाधीन भूमि का भू लगान-वसूली की कीमत गत पच्चीस वर्ष

22 स्थापना की राशि

23 आकस्मिकता की राशि

उपायुक्त

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 फरवरी, 2015

संख्या-जनसम्पर्क- 02/15 – 286 -- वि0स0। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा ने झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन दिए गए स्थायी आदेश क्रमांक 105 एवं 106 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में वष। 2015-16 के लिए झारखण्ड विधान-सभा की प्रेस सलाहकार समिति का गठन निम्न प्रकार से किया हैः-

1. श्री दिनेश उराँव,	माननीय अध्यक्ष,	सभापति
2.श्री चन्दन मिश्रा,	हिन्दुस्तान	संयोजक
3.श्री श्याम किशोर चैबे,	दैनिक जागरण	सदस्य
4.श्री आनन्द मोहन,	प्रभात खबर	सदस्य
5.श्री सुनील कुमार सिंह,	आज	सदस्य
6. श्री राजेश तोमर,	ई0टी0वी0	सदस्य
7. श्री एस0एम0 खुर्शीद,	कौमी तंजीम	सदस्य
8. श्री राजेश कुमार सिंह,	दैनिक भाष्कर	सदस्य
9..श्री पंकज कुमार मिश्रा,	सन्मार्ग	सदस्य
10.श्री राजेश सिन्हा,	आकाशवाणी	सदस्य
11. श्री दिवाकर कुमार	दूरदर्शन	सदस्य
12. श्री विनय कुमार,	यू0एन0आई0	सदस्य
13.श्री इन्दुकान्त दीक्षित,	पी0टी0आई0	सदस्य
14.श्री मधुकर आनन्द,	सहारा टी0वी0	सदस्य
15.श्री ज्ञान रंजन,	न्यूज एक्सप्रेस	सदस्य
16. श्री राजकमल सिंह	ए0पी0एन0 न्यूज	सदस्य
17.श्री राकेश कुमार	न्यूज 11	सदस्य
18.श्री मंगल पी0 पाण्डेय,	हिन्दुस्थान समाचार	सदस्य
19.श्री गोपाल झा,	संडे गार्जियन	सदस्य

20. श्री अरविन्द पाण्डेय,	खबर मंत्र	सदस्य
21. श्री चंचल भट्टाचार्य,	राँची एक्सप्रेस	सदस्य
22. श्री अशोक कुमार,	नक्षत्र टी0वी0	सदस्य
23. सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची।		सदस्य (पदेन)
24. प्रधान, जनसम्पर्क अधिकारी झारखण्ड, राँची ।		सदस्य सचिव

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा इस समिति के सभापति तथा श्री गुलाम मोहम्मद सरफराज, प्रधान जनसम्पर्क अधिकारी, झारखण्ड विधान-सभा, राँची इसके सदस्य सचिव होंगे ।

इस समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष अथवा नयी समिति के गठन तक होगा ।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,
सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव ।
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 7 - 50 ।